



RAJASTHAN JUDICIAL SERVICE MAINS EXAMINATION – MOCK TEST

Question 01

(04-08-2024)

[03 Marks]

Explain the principle of res sub judice.

न्यायालय में विचाराधीन मामले (रेस सब जुडिस) के सिद्धांत की व्याख्या करें।

Sample answer:

Linked provisions: Section 10 – Res subjudice

- Section 10 of the Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) deals with the concept of Res sub judice.
- Res Sub judice is a Latin maxim which means under judgement.
- It implies that where the same subject matter is pending in a Court of law for adjudication between the same parties, the other court is barred to entertain it.
- This Section applies only to suits and not to applications and complaints. The term suit in this section includes appeal.
- The words 'matter in issue' means the entire matter in controversy in the suit and not merely one of the several issues.

Object of Section 10 of CPC

- The object of Section 10 of CPC is to prevent the courts of concurrent jurisdiction from simultaneously entertaining and adjudicating upon two parallel litigations in respect of the same cause of action, the same subject matter and the same relief.
- It also aims to avoid frivolous litigation and thus save the judicial system from the wastage of time and money of the State and of the litigant.

Conditions for Section 10 of CPC

For the application of Section 10 of CPC, the following conditions must be satisfied:

- There must be two suits, one previously instituted and the other subsequently instituted.
- The matter in issue in the subsequent suit must be directly and substantially in issue in the previous suit.
- Both the suits must be between the same parties or their representatives.
- Such parties must be litigating under the same title in both the suits.
- The previously instituted suits must be pending in the same court in which the subsequent suit is brought or in any other court in India or beyond the limits of India having the like jurisdiction.
- The Court in which the previous suit is instituted must have jurisdiction to grant the relief claimed in the subsequent suit.
- In the case of Indian Bank v. Maharashtra State Co-operative Marketing Fed. Ltd. (1998), the Supreme Court held that the rule laid down in Section 10 of CPC applies to trial of a suit and not the institution thereof.

लिकिंग प्रावधान: धारा 10 – मामला न्यायाधीन (रेस सब जुडिस)

- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) की धारा 10, मामला न्यायाधीन (रेस सब जुडिस) अवधारणा से संबंधित है।
- रेस सब जुडिस एक लैटिन कहावत है जिसका अर्थ है निर्णय के अधीन।
- इसका तात्पर्य यह है कि जहां एक ही विषय वस्तु एक ही पक्ष के बीच न्यायनिर्णयन के लिए किसी न्यायालय में लंबित है, तो दूसरे न्यायालय को उस पर विचारण करने से रोक दिया जाता है।
- यह धारा केवल वादों पर लागू होती है, आवेदनों और शिकायतों पर नहीं। इस धारा में वाद शब्द में अपील भी शामिल है।
- 'मामले में विवादक' शब्द का मतलब वाद में विवाद में पूरा मामला है, न कि केवल कई विवादकों में से एक।

सीपीसी की धारा 10 का उद्देश्य

- सीपीसी की धारा 10 का उद्देश्य समवर्ती क्षेत्राधिकार के न्यायालयों को एक ही वाद हेतुक, एक ही विषय वस्तु और एक ही राहत के संबंध में दो समानांतर वादों पर एक साथ विचार करने और निर्णय लेने से रोकना है।
- इसका उद्देश्य निरर्थक वादबाजी से बचना भी है और इस प्रकार न्यायिक प्रणाली को राज्य और वादी के समय और धन की बर्बादी से बचना है।

सीपीसी की धारा 10 के लिए शर्तें

सीपीसी की धारा 10 के आवेदन के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

- दो वाद होने चाहिए, एक पहले संस्थित और दूसरा बाद में संस्थित।
- पूर्विक वाद में विवादित मामला सीधे तौर पर और काफी हद तक पश्चातवर्ती वाद में विवादित होना चाहिए।
- दोनों वाद एक ही पक्ष या उनके प्रतिनिधियों के बीच होने चाहिए।
- ऐसे पक्षों को दोनों वादों में एक ही शीर्षक के तहत वाद करना चाहिए।





- पूर्विक वाद उसी न्यायालय में लंबित होने चाहिए जिसमें पश्चातवर्ती वाद लाया गया है या भारत में किसी अन्य न्यायालय में या समान क्षेत्राधिकार वाले भारत की सीमा से परे लंबित होना चाहिए।
- जिस न्यायालय में पश्चातवर्ती वाद दायर किया गया है, उसके पास पूर्विक वाद में दावा की गई राहत देने का अधिकार क्षेत्र होना चाहिए।
- इंडियन बैंक बनाम महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेड लिमिटेड (1998) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सीपीसी की धारा 10 में निर्धारित नियम किसी वाद के विचारण पर लागू होता है, न कि उसके संस्थित करने पर।

Question 02

[05 Marks]

A is charged under section 325 of the Indian penal code with causing grievous hurt. He proves that he acted on grave and sudden provocation.

Explain which section applies to current situation and why?

A पर भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत घोर उपहती कारित करने का आरोप लगाया गया है। वह साबित करता है कि उसने गंभीर अचानक प्रकोपन पर कार्रवाई की। बताएं कि कौन सी धारा वर्तमान स्थिति पर लागू होती है और क्यों?

Sample answer :

Linked provisions: Where it is doubtful what offence has been committed.

Present case deals with Section 221 . It provides for the cases wherein there is some doubt related to the circumstances and incidents which took place during the commission of the offence. According to this section, if the accused has committed a series of acts which lead to confusion regarding the facts should be proved, the accused might be charged with any or all of such offences or charged for alternative offences. In such cases, the accused is charged for one offence and during the stage of evidence, if it is proved that he has committed a different offence, he may be convicted for the same even though he was not charged with the same.

In the above case A is charged under section 325 i.e . punishment for causing grievous hurt but later he proved that he caused grievous hurt on provocation . So according to the provision of section 221 Crpc, A can be convicted of 335 of Indian penal code.

लिंकिंग प्रावधान: जहां यह संदेहास्पद हो कि कौन सा अपराध किया गया है।

वर्तमान मामला धारा 221 से संबंधित है। यह उन मामलों के लिए प्रावधान करता है जिनमें अपराध के दौरान घटित परिस्थितियों और घटनाओं से संबंधित कुछ संदेह हैं। इस धारा के अनुसार, यदि अभियुक्त ने कई ऐसे कृत्य किए हैं जिनसे तथ्यों के बारे में भ्रम पैदा होता है, तो उसे साबित किया जाना चाहिए, अभियुक्त पर ऐसे किसी या सभी अपराधों का आरोप लगाया जा सकता है या वैकल्पिक अपराधों के लिए आरोप लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में, आरोपी पर एक अपराध के लिए आरोप लगाया जाता है और साक्ष्य के चरण के दौरान, यदि यह साबित हो जाता है कि उसने एक अलग अपराध किया है, तो उसे उसी के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है, भले ही उस पर कोई आरोप न लगाया गया हो।

उपरोक्त मामले में A पर धारा 325 के तहत आरोप लगाया गया है यानी घोर उपहती पहुंचाने के लिए सजा, लेकिन बाद में उसने साबित कर दिया कि उसने प्रकोपन पर घोर उपहती पहुंचाई। तो धारा 221 सीआरपीसी के प्रावधान के अनुसार, A को भारतीय दंड संहिता की धारा 335 के तहत दोषसिद्ध किया जा सकता है।

Question 03

[03 Marks]

Common intention v/s Common object

सामान्य आशय बनाम सामान्य उद्देश्य

Sample answer

Linked provisions: **Section 34-** Acts done by several persons in furtherance of common intention

Section 149- Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object Under the IPC, both Section 34 and Section 149 impose vicarious liability on each individual for acts which are not necessarily done by them. There is, however, a distinction in the scope and nature of operation of both offenses.

- The charge under Section 149 is replaced by Section 34 of the IPC, particularly if some of the accused are acquitted and the number of the accused drops below 5. In this case, the tribunal would have to scrutinize the proof closely to see if there is some aspect of common intention for which it can be held responsible under Section 34.





- Section 34 does not constitute a particular offense but sets out only the principle of joint criminal culpability. Whereas Section 149 generates a particular offense and being a member of an unlawful assembly is itself a criminal offense punishable under Section 143.
- 'Common intent' used in S.34 has not been defined anywhere in the IPC, whereas 'common object' must be one of the five ingredients defined in Section 141 of the IPC.
- Common intention needs a preliminary meeting of mind and unity of purpose, and open action has been taken to promote the common intention of all. If the common object of the members of the unlawful assembly is one but the participants' intention is different, a common object can be formed without a prior meeting of mind. It only needs a criminal act to promote a common purpose.
- For invoking S. 34 it is adequate that two or more individuals were involved. However, to impose section 149 there must be at least 5 people.
- 'Participation' is a key factor for S.34, whereas active involvement in S.149 of the IPC is not required.
- Section 34 requires common intention of any kind. One of the items listed in Section 141 must be a common object under Section 149.
- Section 34 requires some active involvement, particularly in the case of a crime involving physical abuse. Section 149 does not involve active involvement and the responsibility comes from the mere membership of the unlawful assembly with a common objective.

लिंकिंग प्रावधान: धारा 34 - सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य

धारा 149- विधिविरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किये गये अपराध का दोषी आईपीसी के तहत, धारा 34 और धारा 149 दोनों प्रत्येक व्यक्ति पर उन कार्यों के लिए परोक्ष दायित्व थोपती हैं जो जरूरी नहीं कि उनके द्वारा किए गए हों। हालाँकि, दोनों अपराधों के संचालन के दायरे और प्रकृति में अंतर है।

- धारा 149 के तहत आरोप को आईपीसी की धारा 34 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, खासकर यदि कुछ आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया जाता है और आरोपियों की संख्या 5 से कम हो जाती है। इस मामले में, अधिकरण को यह देखने के लिए साक्ष्यों की बारीकी से जांच करनी होगी कि क्या सामान्य आशय का कुछ पहलू है जिसके लिए इसे धारा 34 के तहत जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- धारा 34 किसी विशेष अपराध का गठन नहीं करती बल्कि केवल संयुक्त आपराधिक दोषीता के सिद्धांत को निर्धारित करती है। जबकि धारा 149 एक विशेष अपराध उत्पन्न करती है और किसी विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना स्वयं धारा 143 के तहत दंडनीय आपराधिक अपराध है।
- धारा 34 में प्रयुक्त 'सामान्य आशय' को आईपीसी में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, जबकि 'सामान्य उद्देश्य' आईपीसी की धारा 141 में परिभाषित पांच सामग्रियों में से एक होना चाहिए।
- सामान्य आशय के लिए मन की प्रारंभिक बैठक और उद्देश्य की एकता की आवश्यकता होती है, और सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य है। यदि विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों का सामान्य उद्देश्य एक है लेकिन प्रतिभागियों का आशय अलग है, तो बिना पूर्व सहमति के भी एक सामान्य उद्देश्य बनाया जा सकता है। इसे केवल एक सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए एक आपराधिक कृत्य की आवश्यकता है।
- धारा 34 को लागू करने के लिए यह पर्याप्त है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल थे। हालाँकि, धारा 149 लगाने के लिए कम से कम 5 लोग होने चाहिए।
- धारा 34 के लिए 'भागीदारी' एक महत्वपूर्ण कारक है, जबकि आईपीसी की धारा 149 में सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता नहीं है।
- धारा 34 के लिए किसी भी प्रकार के सामान्य आशय की आवश्यकता होती है। धारा 141 में सूचीबद्ध उद्देश्यों में से एक धारा 149 के तहत एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए।
- धारा 34 में कुछ सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से शारीरिक शोषण से जुड़े अपराध के मामले में। धारा 149 में सक्रिय भागीदारी शामिल नहीं है और दायित्व एक सामान्य उद्देश्य के साथ विधिविरुद्ध जमाव की सदस्यता मात्र से आता है।

Question 04

[05 Marks]

A and B are joint jailors, and as such have the charge of Z, a prisoner, alternatively for six hours at a time. A and B, intending to cause Z's death, knowingly co-operate in causing that effect by illegally omitting, each during the time of his attendance, to furnish Z with food supplied to them for that purpose. Z dies of hunger. Explain the applicable provisions and state which offence A and B guilty of.

A और B संयुक्त जेलर हैं, और इस तरह उनके पास वैकल्पिक रूप से एक समय में छह घंटे के लिए एक कैदी Z का प्रभार है। A और B, X की मृत्यु कारित करने का आशय रखते हुए, अपनी उपस्थिति के समय के दौरान, जानबूझकर उस प्रभाव को पैदा करने में सहयोग करते हुए, प्रत्येक उस उद्देश्य के लिए उन्हें आपूर्ति किए गए भोजन के साथ Z को प्रदान करने में अवैध रूप से चूक करते हैं। Z भूख से मर जाता है। लागू प्रावधानों को स्पष्ट करें और बताएं कि A और B किस अपराध के दोषी हैं।





Sample answer:

Linked provisions: Section 37- Co-operation by doing one of several acts constituting an offence

The above case falls under the purview of section 37 of Indian penal code. Section 37 states that when an offence is committed by several persons in co-operation with each other, each of such persons is liable for the offence committed. The section further explains that if the offence is such that it can be committed by several acts, with the same or different intentions, then each person who does any one of such acts is liable for the offence.

The provision is based on the principle of joint liability for criminal acts. The section is applicable when two or more persons have acted together in committing an offence

In case of, Barendra Kumar Ghosh v. State of West Bengal, the Supreme Court of India held that a person who participates in a crime with the knowledge that the act is likely to result in the commission of an offence is equally liable for the offence committed. The court observed that the liability of the accused in such cases is not limited to the specific act committed by him, but extends to the entire offence.

In the above case A and B both intended to cause Z's death and co-operated in the act which caused the death of Z. Therefore, Both A and B will be held liable for murder of Z.

लिंकिंग प्रावधान: धारा 37 – कई कृत्यों में से एक को करके सहयोग करना जो अपराध बनता है।

उपरोक्त मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 37 के दायरे में आता है। धारा 37 में कहा गया है कि जब कोई अपराध कई व्यक्तियों द्वारा एक-दूसरे के सहयोग से किया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति अपराध के लिए उत्तरदायी होता है। धारा आगे बताती है कि यदि अपराध ऐसा है कि इसे एक ही या अलग-अलग आशयों से कई कृत्यों द्वारा किया जा सकता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे कृत्यों में से किसी एक को करता है, अपराध के लिए उत्तरदायी है। यह प्रावधान आपराधिक कृत्यों के लिए संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। यह धारा तब लागू होती है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर कोई अपराध किया हो

बरेंद्र कुमार घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक व्यक्ति जो इस ज्ञान के साथ अपराध में भाग लेता है कि उसके कार्य के परिणामस्वरूप अपराध होने की संभावना है, वह किए गए अपराध के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी का दायित्व उसके द्वारा किए गए विशिष्ट कार्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे अपराध तक फैला हुआ है।

उपरोक्त मामले में A और B दोनों का आशय Z की मृत्यु कारित करना था और उन्होंने उस कार्य में सहयोग किया जिसके कारण Z की मृत्यु हुई। इसलिए, A और B दोनों को Z की हत्या के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।

LINKING PAPERATHON BOOKLETS



Unique Features of Paperathon Booklet

- Subject-wise presentation with weightage analysis table
- Covered Last Previous Years Papers
- Linked Provision
- Diglot Q&A (English + Hindi)
- Explanation (English + Hindi)
- QR Code for Paper Solution Free Videos
- QR Code for Free Videos Lectures for All Judiciary & Law Exams

[Click Here To Buy Linking Publication](#)

LINKING CHARTS



Major Laws
Linking Chart



Alpha Minor Amendment
Linking Chart

LINKING BARE ACTS



Criminal Major Laws
Linking Bare Acts



Linking Publication
(E-PDF) is now available at
LINKING APP



Tansukh Paliwal (Linking Sir)



Scan this QR Code to
install the Linking App
and get Full PDF of
study material

Linking Laws
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
Get Subscription Now



Question 05

[06 Marks]

Discuss the provisions of Code of criminal procedure regarding the issuance of proclamation of offender. What is difference between proclaimed person and proclaimed offender.

अपराधी की उद्घोषणा जारी करने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों पर चर्चा करें। उद्घोषित व्यक्ति और उद्घोषित अपराधी के बीच क्या अंतर है?

Sample answer:

Linked provisions: Section 82- Proclamation for person absconding.

Section 82 of the CrPC provides for the issuing of a proclamation in a case where the court has reason to believe that the person has concealed himself or has absconded in order to evade the execution of warrants issued against him.

Section 82(2) deals with the procedure through which a proclamation is issued. The provision provides that the proclamation can be issued by:-

1. It is read in some conspicuous place of the town or village where the accused person ordinarily resides.
2. It is affixed at some conspicuous part of the house where such a person ordinarily resides. It can also be fixed at some conspicuous part of town or village.
3. It shall be affixed at a conspicuous part of the courthouse.
4. The proclamation can also be circulated through a daily newspaper circulated in the place where the person ordinarily resides.

Section 82(3) provides that a statement by the court in writing can be taken to be conclusive in this regard.

Proclaimed Offender -When someone is declared a proclaimed offender, the court issues a written proclamation, notifying the public about the individual's status and calling for their appearance before the court. If the proclaimed offender continues to evade the authorities and does not surrender, they may face severe penalties, including imprisonment. Additionally, it becomes the duty of citizens to report any information about the whereabouts of proclaimed offenders to the nearest police station, as mandated by law.

This declaration typically occurs when a person is accused of serious offenses, as specified under certain sections of the Indian Penal Code, such as murder, kidnapping, robbery, etc.

While **proclaimed person** means an individual against whom a court has issued a warrant for arrest, but there are reasons to believe that the person is evading arrest or hiding to avoid appearing in court.

Proclaimed persons are typically pursued for offenses that are not categorized under specific serious crimes, unlike proclaimed offenders. When a court suspects that someone is intentionally avoiding arrest, it can issue a written proclamation requiring that person to appear at a specified place and time, usually within 30 days of the proclamation being published.

लिंकिंग प्रावधान: धारा 82- फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा।

सीआरपीसी की धारा 82 ऐसे मामले में उद्घोषणा जारी करने का प्रावधान करती है जहां न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है कि व्यक्ति ने अपने खिलाफ जारी वारंट के निष्पादन से बचने के लिए खुद को छुपाया है या फरार हो गया है।

धारा 82(2) उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके माध्यम से उद्घोषणा जारी की जाती है। प्रावधान यह प्रदान करता है कि उद्घोषणा निम्नलिखित द्वारा जारी की जा सकती है:-

1. इसे शहर या गांव के किसी विशिष्ट स्थान पर पढ़ा जाता है जहां आरोपी व्यक्ति आमतौर पर रहता है।
2. इसे घर के किसी विशिष्ट भाग पर चिपकाया जाता है जहां ऐसा व्यक्ति आमतौर पर रहता है। इसे शहर या गाँव के किसी विशिष्ट भाग पर भी लगाया जा सकता है।
3. इसे न्यायालय के किसी विशिष्ट भाग पर चिपकाया जाएगा।
4. उद्घोषणा को उस स्थान पर प्रसारित होने वाले दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से भी प्रसारित किया जा सकता है जहां व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है।

धारा 82(3) में प्रावधान है कि न्यायालय द्वारा लिखित रूप में दिए गए कथन को इस संबंध में निर्णायक माना जा सकता है।

उद्घोषित अपराधी -जब किसी को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जाता है, तो न्यायालय एक लिखित उद्घोषणा जारी करती है, जिसमें व्यक्ति की स्थिति के बारे में जनता को सूचित किया जाता है और न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। यदि उद्घोषित अपराधी अधिकारियों से बचना जारी रखता है और आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो उन्हें कारावास सहित गंभीर दंड का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, यह नागरिकों का कर्तव्य बन जाता है कि वे उद्घोषित अपराधियों के ठिकाने के बारे में किसी भी जानकारी को निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें, जैसा कि विधि द्वारा अनिवार्य है।





यह घोषणा आम तौर पर तब होती है जब किसी व्यक्ति पर गंभीर अपराधों का आरोप लगाया जाता है, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं के तहत निर्दिष्ट है, जैसे हत्या, अपहरण, डकैती, आदि।

जबकि उद्धोषित व्यक्ति का मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, लेकिन यह मानने के कारण हैं कि वह व्यक्ति गिरफ्तारी से बच रहा है या न्यायालय में पेश होने से बचने के लिए छिप रहा है। उद्धोषित व्यक्तियों पर आमतौर पर उन अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाता है जिन्हें घोषित अपराधियों के विपरीत विशिष्ट गंभीर अपराधों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता है। जब किसी न्यायालय को संदेह होता है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है, तो वह एक लिखित उद्धोषणा जारी कर सकता है, जिसमें उस व्यक्ति को आमतौर पर उद्धोषणा प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर एक निर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने की आवश्यकता होती है।

Question 06

[03 Marks]

State any 10 Directive principle of state policy under constitution of India

भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य के कोई 10 नीति निर्देशक सिद्धांत बताइये।

Sample answer :

Linked provisions: Part 4 of Constitution of India-Directive principles of state policy are as follows

- ❑ **Article 38:** The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting a social order by ensuring social, economic and political justice and by minimizing inequalities in income, status, facilities and opportunities
- ❑ **Articles 39:** The State shall in particular, direct its policies towards securing:
 - Right to an adequate means of livelihood to all the citizens.
 - The ownership and control of material resources shall be organised in a manner to serve the common good.
 - The State shall avoid concentration of wealth in a few hands.
 - Equal pay for equal work for both men and women.
 - The protection of the strength and health of the workers.
 - Childhood and youth shall not be exploited.
- ❑ **Article 41:** To secure the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disability.
- ❑ **Article 42:** The State shall make provisions for securing just and humane conditions of work and for maternity relief.
- ❑ **Article 43:** The State shall endeavour to secure to all workers a living wage and a decent standard of life.
 - **Article 43A:** The State shall take steps to secure the participation of workers in the management of industries.
- ❑ **Article 47:** To raise the level of nutrition and the standard of living of people and to improve public health.
- ❑ **Article 40:** The State shall take steps to organise village panchayats as units of Self Government
- ❑ **Article 43:** The State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas.
 - **Article 43B:** To promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies.
- ❑ **Article 46:** The State shall promote educational and economic interests of the weaker sections of the people particularly that of the Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs) and other weaker sections.
- ❑ **Article 47:** The State shall take steps to improve public health and prohibit consumption of intoxicating drinks and drugs that are injurious to health.
- ❑ **Article 48:** To prohibit the slaughter of cows, calves and other milch and draught cattle and to improve their breeds.
- ❑ **Article 44:** The State shall endeavour to secure for the citizen a Uniform Civil Code through the territory of India.
- ❑ **Article 45:** To provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years.
- ❑ **Article 48:** To organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines.
 - **Article 48A:** To protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country.

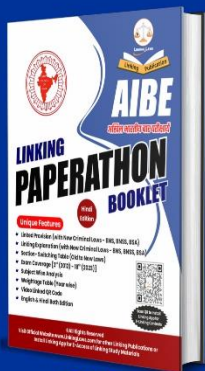




- **Article 49:** The State shall protect every monument or place of artistic or historic interest.
 - **Article 50:** The State shall take steps to separate judiciary from the executive in the public services of the State.
 - **Article 51:** It declares that to establish international peace and security the State shall endeavor to:
 - Maintain just and honourable relations with the nations.
 - Foster respect for international law and treaty obligations.
 - Encourage settlement of international disputes by arbitration.
- लिंकिंग प्रावधान:** भारत के संविधान का भाग 4-राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इस प्रकार हैं।
- अनुच्छेद 38: राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके और आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
 - अनुच्छेद 39: राज्य विशेष रूप से अपनी नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में निर्देशित करेगा:
 - सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार।
 - भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण आम हित की सेवा के लिए व्यवस्थित किया जाएगा।
 - राज्य को कुछ हाथों में धन के केन्द्रीकरण से बचना होगा।
 - पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन।
 - श्रमिकों की ताकत और स्वास्थ्य की सुरक्षा।
 - बालकों और युवाओं का शोषण नहीं किया जाएगा।
 - अनुच्छेद 41: बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में काम करने, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार सुरक्षित करना।
 - अनुच्छेद 42: राज्य काम की उचित और मानवीय स्थितियाँ सुनिश्चित करने और मातृत्व अनुतोष के लिए प्रावधान करेगा।
 - अनुच्छेद 43: राज्य सभी श्रमिकों को जीवनयापन योग्य वेतन और सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
 - अनुच्छेद 43-क: राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा।
 - अनुच्छेद 47: लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना।
 - अनुच्छेद 40: राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा।
 - अनुच्छेद 43: राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
 - अनुच्छेद 43-ख: सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना।
 - अनुच्छेद 46: राज्य लोगों के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा।
 - अनुच्छेद 47: राज्य लोक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर रोक लगाएगा।
 - अनुच्छेद 48: गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और माल ढोने वाले मवेशियों के वध पर रोक लगाना और उनकी नस्लों में सुधार करना।



All India Bar Examination Paperathon



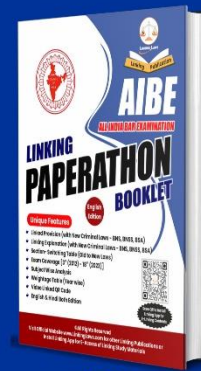
HINDI

Edition Unique Features

- ✦ **Linked Provision**
(with New Criminal Laws - BNS, BNSS, BSA)
- ✦ **Linking Explanation**
(with New Criminal Laws - BNS, BNSS, BSA)
- ✦ **Section- Switching Table (Old to New Laws)**
- ✦ **Exam Coverage [3rd (2012) - 18th (2023)]**
- ✦ **Weightage Table (Year wise)**
- ✦ **English & Hindi Both Edition**
- ✦ **Subject Wise Analysis**
- ✦ **Video Linked QR Code**

ORDER NOW

Linking Publications « Paperathon Booklet
For Other Info Please Call
7737746465



ENGLISH



Scan this QR Code to
install the Linking App
and get Full PDF of
study material

Linking Laws
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
Get Subscription Now



- अनुच्छेद 44: राज्य भारत के क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
- अनुच्छेद 45: छह वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना।
- अनुच्छेद 48: कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना।
 - अनुच्छेद 48-क: पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करना।
- अनुच्छेद 49: राज्य प्रत्येक स्मारक या कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थान की रक्षा करेगा।
- अनुच्छेद 50: राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।
- अनुच्छेद 51: यह घोषणा करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए राज्य निम्नलिखित प्रयास करेगा:
 - राष्ट्रों के साथ न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखें।
 - अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना।
 - मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना।

Question 07

[06 Marks]

Write the composition of Juvenile justice board. Also prescribed its procedure to deal with child in conflict with law.

किशोर न्याय बोर्ड की संरचना लिखिए। विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे से निपटने के लिए इसकी प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है।

Sample answer:

Linked provision: Section 4- Juvenile Justice Board

Section 4 (2) of the act defines this board's constitution. According to the Code of Criminal Procedure, the bench has the same authority as a criminal court. A selection committee, led by a retired High Court judge, chooses the members, which include:

- **Principal Magistrate:** For this position, a Judicial Magistrate First Class or Metropolitan Magistrate with three years of experience is qualified. not the Chief Judicial or Chief Metropolitan Magistrate.
- Two social workers are needed, one of whom must be a woman with at least seven years of experience working in the fields of health, education, or welfare programmes for children. A professional with a degree in child psychology, sociology, psychiatry, or law is appointed

The procedure to deal with child in conflict with law:

1. Firstly, the police will inform the Special Juvenile Police Unit about the same. After this, the case will be forwarded to Child Welfare Police Officer of the concerned police station and in order to keep a record of the case, there will be an entry made in the track child portal.
2. Secondly, there will be the filing of DDR in case of Petty offense, an FIR will be filed for serious crimes or heinous crimes which will depend upon the nature of offense which the alleged child has committed.
3. Thirdly, the child will be sent for a medical examination. This examination shall be carried out by designated Child Wellbeing and Protection Officer (CWPO) or Special Juvenile Police Unit (SJPU). Furthermore, the information about the apprehension shall be sent to the parents and Probation officer to carry out the investigation.
4. Fourthly, the alleged child shall be produced before a Juvenile Justice Board within 24 hours by the designated Child Welfare Police officer. However, if the board is not in session, the child alleged to be in conflict with the law will be produced before a single member of the Board.
5. Fifthly, after the child has been produced before the relevant authority, for the time being, the child may be sent to Observation Home/ Place of Safety for temporary shelter or the child may be bailed out of the board.
6. Sixthly, the designated Child Wellbeing and Protection Officer (CWPO) shall forward the information to DCPU and SALSA in order to assess whether free legal aid is required for the Child alleged to be in conflict with the law.

लिंकिंग प्रावधान: धारा 4- किशोर न्याय बोर्ड

अधिनियम की धारा 4(2) इस बोर्ड के संगठन को परिभाषित करती है। दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, बोर्ड के पास आपराधिक न्यायालय के समान ही अधिकार हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक चयन समिति सदस्यों का चयन करती है, जिसमें शामिल हैं:





- **प्रधान मजिस्ट्रेट:** इस पद के लिए, तीन साल के अनुभव के साथ एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट योग्य है। मुख्य न्यायिक या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं।
- दो सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, जिनमें से एक महिला होनी चाहिए जिसके पास स्वास्थ्य, शिक्षा या बच्चों के लिए कल्याण कार्यक्रमों के क्षेत्र में काम करने का कम से कम सात साल का अनुभव होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मनोचिकित्सा या विधि में डिग्री वाले एक पेशेवर को नियुक्त किया जाता है।

विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे से निपटने की प्रक्रिया:

1. सबसे पहले, पुलिस विशेष किशोर पुलिस इकाई को इसके बारे में सूचित करेगी। इसके बाद मामला संबंधित पुलिस स्टेशन के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को भेज दिया जाएगा और मामले का रिकॉर्ड रखने के लिए ट्रैक चाइल्ड पोर्टल में एक प्रविष्टि की जाएगी।
2. दूसरे, छोटे अपराध के मामले में DDR दाखिल की जाएगी, गंभीर अपराध या जघन्य अपराध के लिए FIR दर्ज की जाएगी जो कि कथित बच्चे द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति पर निर्भर करेगा।
3. तीसरा, बच्चे को चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा जाएगा। यह परीक्षा नामित बाल कल्याण और संरक्षण अधिकारी (सीडब्ल्यूपीओ) या विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) द्वारा की जाएगी। इसके अलावा, हिरासत के बारे में जानकारी अन्वेषण करने के लिए माता-पिता और परिवीक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
4. चौथा, कथित बच्चे को नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। हालाँकि, यदि बोर्ड सत्र में नहीं है, तो विधि का उल्लंघन करने वाले कथित बच्चे को बोर्ड के एक सदस्य के समक्ष पेश किया जाएगा।
5. पांचवां, बच्चे को संबंधित प्राधिकारी के सामने पेश करने के बाद, कुछ समय के लिए, बच्चे को अस्थायी आश्रय के लिए निरीक्षण गृह/सुरक्षा स्थान पर भेजा जा सकता है या बच्चे को बोर्ड से बाहर निकाला जा सकता है।
6. छठा, नामित बाल कल्याण और संरक्षण अधिकारी (सीडब्ल्यूपीओ) जानकारी को डीसीपीयू और एसएलएसए को अग्रेषित करेगा ताकि यह आकलन किया जा सके कि विधि का उल्लंघन करने वाले कथित बच्चे के लिए निशुल्क विधिक सहायता की आवश्यकता है या नहीं।

Question 08

[04 Marks]

Who is a lessor? Write the rights of a lessor?

पट्टाकर्ता कौन है? पट्टाकर्ता के अधिकार लिखें?

Sample answer:

Linked provisions: Section 108. Rights and liabilities of lessor and lessee

A lessor is essentially someone who grants a lease to someone else. As such, a lessor is the owner of an asset that is leased under an agreement to a lessee.

Following are the rights of a lessor:-

- **Right to Receive Rent:** The primary right of a lessor is to receive regular rent payments from the lessee. The lease agreement specifies the amount of rent, the frequency of payments, and the due dates.
- **Right to Inspect:** In many lease agreements, lessors have the right to inspect the leased property to ensure that it is being used properly and is being maintained in good condition.
- **Right to Terminate the Lease:** Lessors may have the right to terminate the lease under certain conditions, such as non-payment of rent, violation of lease terms, or other breaches of the agreement.
- **Right to Determine Lease Terms:** Lessors generally have the right to specify the terms of the lease, including the duration, renewal options, and any conditions or restrictions on the use of the property.
- **Right to Receive Security Deposit:** Many lessors require lessees to provide a security deposit. The lessor has the right to hold and use this deposit to cover unpaid rent or damages to the property beyond normal wear and tear.
- **Right to Maintain and Repair:** Depending on the lease terms, lessors may have the right to perform necessary maintenance and repairs on the property, with the cost often borne by the lessee.
- **Right to Evict:** In cases of serious breaches of the lease agreement, such as non-payment of rent or illegal activities on the premises, the lessor may have the right to initiate eviction proceedings.
- **Right to Enforce Lease Terms:** Lessors have the right to enforce the terms and conditions outlined in the lease agreement, including any rules or restrictions related to the use of the property.

लिंकिंग प्रावधान: धारा 108. पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व

पट्टाकर्ता अनिवार्य रूप से वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य को पट्टा देता है। इस प्रकार, एक पट्टाकर्ता एक परिसंपत्ति का मालिक होता है जिसे एक करार के तहत पट्टेदार को पट्टे पर दिया जाता है।

पट्टाकर्ता के निम्नलिखित अधिकार हैं:-





- किराया प्राप्त करने का अधिकार: पट्टाकर्ता का प्राथमिक अधिकार पट्टेदार से नियमित किराया भुगतान प्राप्त करना है। पट्टा करार किराए की राशि, भुगतान की आवृत्ति और देय तिथियां निर्दिष्ट करता है।
- निरीक्षण करने का अधिकार: कई पट्टा करारों में, पट्टाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए पट्टे पर दी गई संपत्ति का निरीक्षण करने का अधिकार है कि इसका ठीक से उपयोग किया जा रहा है और इसे अच्छी स्थिति में बनाए रखा जा रहा है।
- पट्टा समाप्त करने का अधिकार: पट्टाकर्ताओं को कुछ शर्तों के तहत पट्टा समाप्त करने का अधिकार हो सकता है, जैसे किराए का भुगतान न करना, पट्टे की शर्तों का उल्लंघन, या करार के अन्य उल्लंघन।
- पट्टे की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार: पट्टाकर्ताओं को आम तौर पर पट्टे की शर्तों को निर्दिष्ट करने का अधिकार होता है, जिसमें अवधि, नवीनीकरण विकल्प और संपत्ति के उपयोग पर कोई भी शर्त या प्रतिबंध शामिल है।
- प्रतिभूति जमा प्राप्त करने का अधिकार: कई पट्टाकर्ताओं को पट्टेदारों से प्रतिभूति जमा प्रदान की आवश्यकता होती है। पट्टाकर्ता को संपत्ति के अदत्त किराए या सामान्य टूट-फूट से परे क्षति को कवर करने के लिए इस जमा राशि को रखने और उपयोग करने का अधिकार है।
- रखरखाव और मरम्मत का अधिकार: पट्टे की शर्तों के आधार पर, पट्टाकर्ताओं को संपत्ति पर आवश्यक रखरखाव और मरम्मत करने का अधिकार हो सकता है, जिसकी लागत अक्सर पट्टेदार द्वारा वहन की जाती है।
- बेदखल करने का अधिकार: पट्टा करार के गंभीर उल्लंघनों के मामलों में, जैसे किराए का भुगतान न करना या परिसर में अवैध गतिविधियां, पट्टाकर्ता को बेदखली की कार्यवाही शुरू करने का अधिकार हो सकता है।
- पट्टा शर्तों को लागू करने का अधिकार: पट्टाकर्ताओं को संपत्ति के उपयोग से संबंधित किसी भी नियम या प्रतिबंध सहित पट्टा करार में उल्लिखित नियमों और शर्तों को लागू करने का अधिकार है।

Question 09

[03 Marks]

Explain the Doctrine of Harmonious construction. & Its Applicability?

सामंजसपूर्ण निर्वचन के सिद्धांत की व्याख्या करें। और इसकी प्रयोज्यता?

Sample answer :

- The term harmonious construction refers to such construction by which harmony or oneness amongst various provisions of an enactment is arrived at.
- When the words of statutory provision bear more than one meaning and there is a doubt as to which meaning should prevail, their interpretation should be in a way that each has a separate effect and is neither redundant nor nullified.
- The use of this doctrine can be traced back to the very first Constitutional amendment in the case of *Shankari Prasad v. Union of India* (1951) where there was a conflict between Fundamental rights and Directive principle of state policy.
- The Court applied the rule of Harmonious Construction in the Indian constitution and stated that fundamental rights and DPSP are different sides of the same coin and hence, harmonized them stating they are for public good.
- The Supreme Court in the case of *Commissioner of Income Tax v. Hindustan Bulk Carrier* (2003), has laid down the following principles that govern the doctrine of harmonious construction:
 - While interpreting the provisions, the courts need to avoid all circumstances of head-on clash between the provisions. They must be construed harmoniously.
 - Interpretation by the Courts should be done in such a way that one provision does not defeat the other provision unless there seems no possible construction.
 - If the situation is so that it becomes impossible to reconcile the provisions in conflict, the courts must decide in such a way that both provisions are given effect.
 - Any construction that renders one provision of the statute (or another statute, in the case of two different statutes) useless or dead letter should not be given effect. Such construction is not a harmonious construction.
 - A harmonious construction is one which does not defeat any other provisions.
- The Courts have formulated the following measures for the applicability of the said doctrine:
 - Giving **maximum force to both clauses** thus reducing their inconsistency.
 - Both clauses that are inherently contradictory or repugnant to one another must be read as a whole, and the **entire enactment must be considered**.
 - Choose the one with the **broader reach of the two contrasting clauses**.



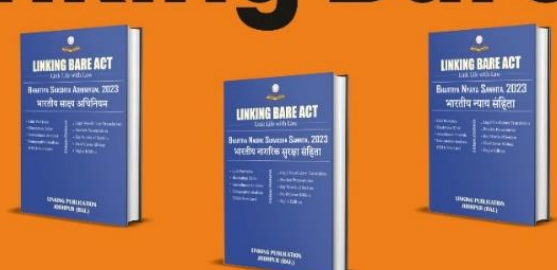


- Compare the broad and narrow provisions, and then try to analyze the broad law to see if there are any other consequences. **No further investigation is needed** if the result is as fair as harmonizing both clauses and giving them full force separately. One thing to keep in mind is that the legislature, when enacting the provisions, was well aware of the situation that they were attempting to address, and **thus all provisions adopted must be given full effect on scope.**
- A non-obstante clause must be used when **one provision of an Act strips away powers conferred by another Act.**
- सामंजस्यपूर्ण निर्वचन शब्द का तात्पर्य ऐसे निर्वचन से है जिसके द्वारा किसी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बीच सामंजस्य या एकता स्थापित की जाती है।
- जब वैधानिक प्रावधान के शब्द एक से अधिक अर्थ रखते हों और संदेह हो कि कौन सा अर्थ प्रबल होना चाहिए, तो उनकी व्याख्या इस प्रकार होनी चाहिए कि प्रत्येक का अलग-अलग प्रभाव हो और वह न तो अनावश्यक हो और न ही निरस्त हो।
- इस सिद्धांत के उपयोग का पता शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951) के मामले में पहले संवैधानिक संशोधन से लगाया जा सकता है, जहां मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बीच संघर्ष था।
- न्यायालय ने भारतीय संविधान में सामंजस्यपूर्ण निर्वचन के नियम को लागू किया और कहा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ही सिक्के के अलग-अलग पहलू हैं और इसलिए, यह कहते हुए उनमें सामंजस्य स्थापित किया कि वे जनता की भलाई के लिए हैं।
- आयकर आयुक्त बनाम हिंदुस्तान बल्क कैरियर (2003) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए हैं जो सामंजस्यपूर्ण निर्वचन के सिद्धांत को नियंत्रित करते हैं:
 - प्रावधानों की व्याख्या करते समय, न्यायालयों को प्रावधानों के बीच आमने-सामने टकराव की सभी परिस्थितियों से बचने की आवश्यकता है। उन्हें सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए।
 - न्यायालयों द्वारा व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि एक प्रावधान दूसरे प्रावधान को पराजित न करे जब तक कि कोई संभावित निर्वचन न हो।
 - यदि स्थिति ऐसी है कि विरोधाभासी प्रावधानों में सामंजस्य बिठाना असंभव हो जाता है, तो न्यायालयों को इस तरह से निर्णय लेना चाहिए कि दोनों प्रावधान प्रभावी हो जाएं।
 - कोई भी निर्वचन जो विधि के एक प्रावधान (या दो अलग-अलग कानूनों के मामले में किसी अन्य विधि) को बेकार या मृत अक्षर प्रदान करता है, उसे प्रभावी नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसा निर्वचन कोई सामंजस्यपूर्ण निर्वचन नहीं है।
 - एक सामंजस्यपूर्ण निर्वचन वह है जो किसी भी अन्य प्रावधानों को पराजित नहीं करता है।
- * न्यायालयों ने उक्त सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए निम्नलिखित उपाय तैयार किए हैं:
 - दोनों खंडों को अधिकतम बल देना और इस प्रकार उनकी असंगति को कम करना।
 - दोनों खंड जो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के लिए विरोधाभासी या प्रतिकूल हैं, उन्हें समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, और संपूर्ण अधिनियम पर विचार किया जाना चाहिए।
 - दो विपरीत खंडों में से व्यापक पहुंच वाला एक चुनें।
 - व्यापक और संकीर्ण प्रावधानों की तुलना करें, और फिर यह देखने के लिए व्यापक विधि का विश्लेषण करने का प्रयास करें कि क्या कोई अन्य परिणाम है। यदि परिणाम दोनों खंडों में सामंजस्य स्थापित करने और उन्हें अलग-अलग पूर्ण बल देने जितना निष्पक्ष है तो किसी और जांच की आवश्यकता नहीं है। ध्यान में रखने वाली एक बात यह है कि प्रावधान लागू करते समय विधायिका उस स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थी जिसे वे संबोधित करने का प्रयास कर रहे थे, और इस प्रकार अपनाए गए सभी प्रावधानों को दायरे में पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए।
 - जब किसी अधिनियम का एक प्रावधान दूसरे अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों को छीन लेता है तो एक गैर-अस्थिर खंड का उपयोग किया जाना चाहिए।



Linking Bare Act

- Diglot Edition
- Legal Vocabulary
- Comparison Table
- Comparative Index
- Linked Provision
- Illustration Table





Linking Publications « Paperation Booklet
For Other Info Please Call
7737746465

Buy Now





Question 10

[04 Marks]

In what circumstances the property of person absconding can be attached under Code of Criminal procedure?

दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किन परिस्थितियों में फरार व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की जा सकती है?

Sample answer:

Linked provisions: Section 82- Proclamation for person absconding

Section 83- Attachment of property of person absconding.

A person against whom a proclamation has been issued by the court under Section 82, his property can be attached as per Section 83 of the Code of Criminal Procedure, 1973. This is done to compel the person to appear before the court on trial proceedings.

The Court that issues the proclamation might attach any movable or immovable property of such person under Section 83 of the CrPC when it has a reason to believe (by an affidavit or other evidence) that the person is making an attempt to:

- dispose of the immovable property; or
- is going to transfer the immovable property either entirely or partially, to an area outside the local jurisdiction of the concerned Court.

The Court's order to attach the property would be authorized within the local jurisdiction. If the attached property is located in another area, then it would be authorized after being endorsed by the District Magistrate of the concerned area. The order of attachment is under Form no. 7 of the Second Schedule of CrPC to compel the appearance of an accused person

लिंकिंग प्रावधान: धारा 82- फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा

धारा 83- फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की।

एक व्यक्ति जिसके खिलाफ धारा 82 के तहत न्यायालय द्वारा उद्घोषणा जारी की गई है, उसकी संपत्ति को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 83 के अनुसार कुर्क किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति को विचारण की कार्यवाही पर न्यायालय के सामने पेश होने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है।

उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय सीआरपीसी की धारा 83 के तहत ऐसे व्यक्ति की किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति को कुर्क कर सकता है, जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो (शपथ पत्र या अन्य साक्ष्य द्वारा) कि व्यक्ति निम्नलिखित का प्रयास कर रहा है:

- स्थावर संपत्ति का निपटान; या
- स्थावर संपत्ति को पूरी तरह या आंशिक रूप से संबंधित न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार के बाहर किसी क्षेत्र में स्थानांतरित करने जा रहा है।

संपत्ति कुर्क करने का न्यायालय का आदेश स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर अधिकृत किया जाएगा। यदि कुर्क की गई संपत्ति किसी अन्य क्षेत्र में स्थित है तो उसे संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पृष्ठांकित करने के बाद अधिकृत किया जाएगा। कुर्की का आदेश प्रपत्र क्रमांक के अंतर्गत है। सीआरपीसी की दूसरी अनुसूची के 7 किसी आरोपी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना।

Question 11

[05 Marks]

Explain the essential ingredients of valid contract.

वैध संविदा के आवश्यक तत्वों को समझाइये।

Sample answer :

Linked provisions: Section 10- What agreements are contracts

According to the Indian Contract Act 1872, "Agreements are also contracts made by the consent of parties, competent to contract to consider with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void".

The essentials of a valid contract are as follows:

Offer and Acceptance

Generally, the written contract only unfolds when the other party accepts the offer by one party and is definite in all sense. The offer or agreement must be clear and complete in all sense. Both parties should communicate to ensure there is no lapse in the contract act. Both the offer and acceptance must be "consensus ad idem", meaning, both parties must comply with the same thing.

Intention to Create a Legal Relationship

To bind, both parties should have a specific intention that can create a legal relationship, resulting in an agreement. Agreements in social or household nature are not contracts because parties do not intend to build legal relationships.

The Intent of Legal Obligations





One of the essential elements of a valid offer is that both parties subject to a contract must be clear with the intentions of creating a legal relationship. This also means that agreements that are not enforceable by the law like agreements between relatives are enforceable in the court of law.

Possibility of Performance of Agreement

In this case, suppose two people decide to undergo an agreement where person A agrees to bring person B's dead relative back to life, this will not fall under the legal contract act because bringing back the deceased person alive is an impossible task. Thus, the agreement does not stand valid.

Legal Formalities

In this agreement, if there is any uncertainty and both parties are not capable of finding the right path, then it is deemed void. As a part of the essentials of a valid consideration, the terms and conditions of the contract should be concrete. Any contract, which is uncertain in any sense, can be termed as void. The terms mentioned in the agreement should be capable of performing specific thoughts.

Consideration

Consideration means the moral value given for the performance of the promise. It should not be only limited to money, but there should be some value to what has been agreed upon. One of the essentials of valid consideration is that it should not be adequate, but should carry some value.

लिकिंग प्रावधान: धारा 10- कौन से करार संविदा हैं

भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार, "करार भी पक्षकारों की सहमति से किए गए संविदा हैं, जो किसी वैध उद्देश्य पर विचार करने के लिए संविदा करने में सक्षम हैं और इसके द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किए जाते हैं"।

एक वैध संविदा की अनिवार्यताएँ इस प्रकार हैं:

प्रस्थापक और प्रतिग्रहण

आम तौर पर, लिखित संविदा तभी सामने आती है जब दूसरा पक्ष एक पक्ष के प्रस्थापक को स्वीकार कर लेता है और सभी अर्थों में निश्चित होता है। प्रस्थापक या करार सभी अर्थों में स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए। दोनों पक्षों को यह सुनिश्चित करने के लिए संवाद करना चाहिए कि संविदा अधिनियम में कोई चूक नहीं है। प्रस्थापक और प्रतिग्रहण दोनों को "एक ही बात पर सहमति" होना चाहिए, जिसका अर्थ है, दोनों पक्षों को एक ही चीज़ का अनुपालन करना चाहिए।

विधिक संबंध बनाने का आशय

बाध्य करने के लिए, दोनों पक्षों के पास एक विशिष्ट आशय होना चाहिए जो विधिक संबंध बना सके, जिसके परिणामस्वरूप एक करार हो सके। सामाजिक या घरेलू प्रकृति के करार संविदा नहीं हैं क्योंकि पक्षकारों का विधिक संबंध बनाने का आशय नहीं है।

विधिक दायित्वों का आशय

एक वैध प्रस्थापक के आवश्यक तत्वों में से एक यह है कि संविदा के अधीन दोनों पक्षों को विधिक संबंध बनाने के आशय स्पष्ट होने चाहिए। इसका मतलब यह भी है कि ऐसे करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं जैसे रिश्तेदारों के बीच करार विधि की न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं।

करार के पालन की संभावना

इस मामले में, मान लीजिए कि दो लोग एक करार से गुजरने का फैसला करते हैं जहां व्यक्ति A व्यक्ति B के मृत रिश्तेदार को वापस जीवन में लाने के लिए सहमत होता है, यह विधिक संविदा अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि मृत व्यक्ति को जीवित वापस लाना एक असंभव कार्य है। इस प्रकार, करार वैध नहीं है।

विधिक औपचारिकताएँ

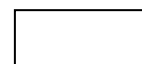
इस करार में यदि कोई अनिश्चितता हो और दोनों पक्ष सही रास्ता खोजने में सक्षम न हों तो इसे अमान्य माना जाता है। वैध प्रतिफल की अनिवार्यताओं के एक भाग के रूप में, संविदा के नियम और शर्तें ठोस होनी चाहिए। कोई भी संविदा, जो किसी भी दृष्टि से अनिश्चित हो, शून्य करार दिया जा सकता है। करार में उल्लिखित शर्तें विशिष्ट विचारों को निष्पादित करने में सक्षम होनी चाहिए।

महत्त्व

प्रतिफल का अर्थ है वचन के पालन के लिए दिया गया नैतिक मूल्य। यह केवल धन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस बात पर सहमति बनी है उसका कुछ मूल्य भी होना चाहिए। वैध प्रतिफल की अनिवार्यताओं में से एक यह है कि यह पर्याप्त नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ मूल्य होना चाहिए।

Question 12

[08 Marks]



What are the consequence of absconding to avoid service of summons or other proceeding under Indian penal code?

भारतीय दंड संहिता के तहत समन की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार रहने के क्या परिणाम होते हैं?

Sample answer:

Linked provisions: Section 172- Absconding to avoid service of summons or other proceeding.





Absconding, in the context of Section 172 IPC, refers to an individual deliberately evading the service of summons or other proceedings issued by a court or a public servant. Section 172 of the Indian Penal Code (IPC) deals with "absconding to avoid service of summons or other proceedings." This offence occurs when an individual intentionally avoids or absconds to evade the service of any summons, notice, or order issued by any public servant legally empowered to do so or avoids appearing in compliance with such summons, notice, or order.

IPC Section 172 is a bailable offence. This means an accused person has the right to be released on bail after arrest, pending further legal proceedings, subject to the court's discretion.

Legal consequences:

Violating Section 172 IPC can lead to severe legal consequences. Individuals found guilty of this offense may face imprisonment and fines. Whoever absconds in order to avoid being served with a summons, notice or order proceeding from any public servant legally competent, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both; or, if the summons or notice or order is to attend in person or by agent, or to produce a document or electronic record in a Court of Justice, with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

लिंकिंग प्रावधान: धारा 172- समन की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार होना।

आईपीसी की धारा 172 के संदर्भ में, फरार होने का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर न्यायालय या लोक सेवक द्वारा जारी किए गए समन या अन्य कार्यवाही की तामील से बचना है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 172 "समन या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार होने" से संबंधित है। यह अपराध तब होता है जब कोई व्यक्ति विधिक रूप से ऐसा करने के लिए अधिकृत किसी लोक सेवक द्वारा जारी किए गए किसी समन, नोटिस या आदेश की तामील से बचने के लिए जानबूझकर बचता है या फरार हो जाता है या ऐसे समन, नोटिस या आदेश के अनुपालन में उपस्थित होने से बचता है। आईपीसी की धारा 172 एक जमानती अपराध है। इसका मतलब यह है कि आरोपी व्यक्ति को न्यायालय के विवेक के अधीन, आगे की विधिक कार्यवाही लंबित रहने तक, गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा करने का अधिकार है।

विधिक परिणाम:

आईपीसी की धारा 172 का उल्लंघन करने पर गंभीर विधिक परिणाम हो सकते हैं। इस अपराध में दोषी पाए गए व्यक्तियों को कारावास और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। जो कोई विधिक रूप से सक्षम लोक सेवक से समन, नोटिस या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाता है, उसे एक अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो पांच सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों के साथ; या, यदि समन या नोटिस या आदेश व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होने के लिए है, या किसी न्यायालय में दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए है, तो एक अवधि के लिए साधारण कारावास जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दिया जा सकता है।

Question 13

[06 Marks]

Write the manner of execution of a decree under code of civil procedure. What provision regarding Execution may be applied mutadis mutandis for any order before judgment.

सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत डिक्री के निष्पादन की विधि लिखिए। निष्पादन के संबंध में कौन सा प्रावधान निर्णय से पहले किसी भी आदेश के लिए यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू हो सकता है।

Sample answer

Linked provisions: Order 21 rule 30- manner under money decree

Order 21 rule 31- specific movable property

Order 21 rule 32- Decree for specific performance, for restitution of conjugal rights or for an injunction

Order 21 rule 35- decree for immovable property

Different modes of execution

(i) After the decree-holder files an application for execution of a decree, the executing court can enforce execution. A decree may be enforced by,

- delivery of any property specified in the decree, (movable or immovable)
- by attachment and sale or by sale without attachment of any property, or
- by arrest and detention in civil prison of the judgment-debtor.

However, this mode should not be exercised without giving a reasonable opportunity to the judgment-debtor, in the form of a show-cause notice as to why he should not be imprisoned or by appointing a receiver, or by effecting partition, or in such other manner as the nature of the relief may require.

Delivery of property





a) Movable Property:

Section 51(a) Rule 31 Where the decree is for any specific movable property, it may be executed

- by seizure and delivery of property; or
- by detention of the judgment-debtor; or
- by attachment of his property; or
- by attachment and detention both. The words specific movable do not include money and therefore, a decree for money cannot be executed under Rule 31. Again, for the application of this rule the property must be in the possession of the judgment-debtor. Where the property is in the possession of a third party, the provisions of this rule do not apply.

b) Immovable Property:

Rules 35 and 36 Rules 35 and 36 provide the mode of executing decree for possession of immovable property. Where the decree is for immovable property in the possession of the judgment-debtor or in the possession of the person bound by the decree, it can be executed by removing the judgment-debtor or any person bound by the decree and by delivering the possession thereof to the decree-holder. If the decree-holder satisfactorily establishes identity of decretal property, the decree must be executed by the court by putting the decree-holder in possession thereof.

Specific performance of Contract:

Rule 32 Where a decree is for specific performance of a contract, and the party against whom it has been passed has wilfully failed to obey it, it may be executed by his detention in the civil prison, or by attachment of his property, or both. A decree for specific performance operates in favour of both parties. The defendant is as much entitled to enforce it as the plaintiff.

Injunction:

Rule 32 Where a decree is for injunction, and the party against whom it has been passed has wilfully failed to obey it, it may be executed by his detention in the civil prison, or by attachment of his property or by both.

Restitution of conjugal rights:

Rules 32 and 33 Where a decree is for restitution of conjugal rights and the party against whom it has been passed has wilfully failed to obey it, it may be executed by the attachment of his property. The court either at the time of passing a decree against a husband or at any time thereafter may order that in the event of the decree not being obeyed within the period fixed by the court, the judgment-debtor shall make such periodical payments to the decree-holder as may be just.

Execution of any order before judgement:

A court has an extraordinary power to issue an interim order under Order 38 Rules 5 to 13 of the Code of Civil Procedure, 1908 for the attachment of a property before judgement. Attachment of a property before judgement is the legal concept of seizing property to ensure the satisfaction of a judgement.

Order 38 Rule 5 CPC is to prohibit the defendant from resisting a prospective decree in favour of the plaintiff by seeking to dispose of or remove the suit property outside the jurisdiction of the court. The court must be satisfied that the case of the plaintiff must be *prima facie* and establishes that the defendant is seeking to remove or dispose of the suit property in order to resist any possible decree. The Court further pointed out that the defendant is not precluded from dealing with his property because a lawsuit has been or is likely to be brought against them.

लिकिंग प्रावधान: आदेश 21 नियम 30- धन डिक्री के तहत तरीका

आदेश 21 नियम 31- विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति

आदेश 21 नियम 32- विनिर्दिष्ट पालन के लिए, दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए या व्यादेश के लिए डिक्री

आदेश 21 नियम 35- स्थावर संपत्ति की डिक्री

निष्पादन के विभिन्न तरीके

- डिक्री-धारक द्वारा डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन दायर करने के बाद, निष्पादन न्यायालय निष्पादन को लागू कर सकता है। एक डिक्री को लागू किया जा सकता है,
 - डिक्री में निर्दिष्ट किसी भी संपत्ति का वितरण, (जंगम या स्थावर)
 - कुर्की और बिक्री द्वारा या किसी संपत्ति की कुर्की के बिना बिक्री द्वारा, या
 - निर्णीत-ऋणी की गिरफ्तारी और सिविल जेल में नजरबंदी द्वारा।





हालाँकि, इस पद्धति का उपयोग निर्णीत-ऋणी को कारण बताओ नोटिस के रूप में उचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाना चाहिए कि उसे कैद क्यों नहीं किया जाना चाहिए या एक रिसीवर नियुक्त करके, या विभाजन को प्रभावित करके, या ऐसे में अनुतोष की प्रकृति के अनुसार अन्य तरीके की आवश्यकता हो सकती है।

संपत्ति का वितरण

क) जंगम संपत्ति:

धारा 51(क) नियम 31 जहां डिक्री किसी विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति के लिए है, वहां इसे निष्पादित किया जा सकता है

- संपत्ति की जब्ती और सुपुर्दगी द्वारा; या
- निर्णीत-ऋणी को निरुद्ध करके; या
- उसकी संपत्ति की कुर्की द्वारा; या
- कुर्की और निरोध दोनों से। विनिर्दिष्ट जंगम शब्द में धन शामिल नहीं है और इसलिए, धन के लिए डिक्री को नियम 31 के तहत निष्पादित नहीं किया जा सकता है। फिर, इस नियम को लागू करने के लिए संपत्ति निर्णीत-ऋणी के कब्जे में होनी चाहिए। जहां संपत्ति किसी तीसरे पक्ष के कब्जे में है, वहां इस नियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

ख) स्थावर संपत्ति:

नियम 35 और 36 स्थावर संपत्ति के कब्जे के लिए डिक्री निष्पादित करने का तरीका प्रदान करते हैं। जहां डिक्री निर्णीत-ऋणी के कब्जे में या डिक्री से बंधे व्यक्ति के कब्जे में स्थावर संपत्ति के लिए है, वहां इसे निर्णीत-ऋणी या डिक्री से बंधे किसी भी व्यक्ति को हटाकर और डिक्री धारक को उसका कब्जा देकर निष्पादित किया जा सकता है। यदि डिक्री-धारक संतोषजनक ढंग से डिक्री योग्य संपत्ति की पहचान स्थापित करता है, तो डिक्री धारक को उसके कब्जे में रखकर डिक्री को न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए।

संविदा का विनिर्दिष्ट पालन:

नियम 32 जहां कोई डिक्री किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए है, और जिस पक्ष के खिलाफ इसे पारित किया गया है, वह जानबूझकर इसका पालन करने में विफल रहा है, इसे सिविल जेल में हिरासत में रखकर, या उसकी संपत्ति की कुर्की करके, या दोनों द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। विनिर्दिष्ट पालन के लिए डिक्री दोनों पक्षों के पक्ष में लागू होती है। प्रतिवादी भी इसे लागू कराने का उतना ही हकदार है जितना कि वादी।

व्यादेश:

नियम 32 जहां डिक्री व्यादेश के लिए है, और जिस पक्ष के खिलाफ इसे पारित किया गया है वह जानबूझकर इसका पालन करने में विफल रहा है, इसे सिविल जेल में हिरासत में रखकर, या उसकी संपत्ति की कुर्की करके या दोनों द्वारा निष्पादित किया जा सकता है।

दाम्पत्य अधिकारों की बहाली:

नियम 32 और 33 जहां कोई डिक्री वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए है और जिस पक्ष के खिलाफ इसे पारित किया गया है वह जानबूझकर इसका पालन करने में विफल रहा है, तो उसकी संपत्ति की कुर्की करके इसे निष्पादित किया जा सकता है। न्यायालय या तो पति के खिलाफ डिक्री पारित करते समय या उसके बाद किसी भी समय यह आदेश दे सकती है कि न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर डिक्री का पालन नहीं होने की स्थिति में, निर्णीत-ऋणी डिक्री डिक्री-धारक को ऐसे आवधिक भुगतान करेगा जो उचित हो।

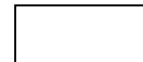
निर्णय से पहले किसी भी आदेश का निष्पादन:

किसी न्यायालय के पास निर्णय से पहले किसी संपत्ति की कुर्की के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 38 नियम 5 से 13 के तहत अंतरिम आदेश जारी करने की असाधारण शक्ति है। निर्णय से पहले संपत्ति की कुर्की निर्णय की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति को जब्त करने की विधिक अवधारणा है।

आदेश 38 नियम 5 सीपीसी प्रतिवादी को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर वाद की संपत्ति को निपटाने या हटाने की मांग करके वादी के पक्ष में संभावित डिक्री का विरोध करने से रोकता है। न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि वादी का मामला प्रथम दृष्टया सही होना चाहिए और यह स्थापित करना चाहिए कि प्रतिवादी किसी भी संभावित डिक्री का विरोध करने के लिए वाद की संपत्ति को हटाने या निपटाने की मांग कर रहा है। न्यायालय ने आगे बताया कि प्रतिवादी को उसकी संपत्ति से निपटने से नहीं रोका गया है क्योंकि उनके खिलाफ वाद दायर किया गया है या लाए जाने की संभावना है।

Question 14

[02 Marks]



Who can institute a suit on behalf of a aggrieved person under the age of 18 years under section 198 of code of criminal procedure?

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के पीड़ित व्यक्ति की ओर से कौन वाद संस्थित कर सकता है?

Sample answer:

Linked provision: Section 198 Code of criminal procedure- Prosecution for offences against marriage

In CrPC Section 198 deals with the prosecution of offenses against marriage. This section stated below:

- Except a complaint made by the person aggrieved by the offense. No court will take cognizance of an offense punishable under chapter 20 of the Indian Penal Code.
- If the person is below the age of 18 years or he is an idiot or lunatic then the complaint can be made on behalf of him by some other person. Such a person needs not be appointed or declared by a competent





authority to be a guardian of the minor or lunatic person and if the court is satisfied then there is a guardian appointed for the same. The court before granting the application for leave, gives a cause notice to the guardian and gives him a reasonable opportunity of being heard.

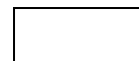
लिकिंग प्रावधान: धारा 198 आपराधिक प्रक्रिया संहिता- विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन

सीआरपीसी की धारा 198 विवाह के विरुद्ध अपराधों के अभियोजन से संबंधित है। यह धारा नीचे बतायी गयी है:

- अपराध से पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई परिवाद को छोड़कर कोई भी न्यायालय भारतीय दंड संहिता के अध्याय 20 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।
- यदि व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का है या वह मूर्ख या पागल है तो उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिवाद की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति को किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अव्यस्क या पागल व्यक्ति का संरक्षक नियुक्त या घोषित करने की आवश्यकता नहीं है और यदि न्यायालय संतुष्ट है तो इसके लिए एक संरक्षक नियुक्त किया गया है। न्यायालय विनती का आवेदन मंजूर करने से पहले संरक्षक को कारण बताओ नोटिस देती है और उसे सुनवाई का उचित अवसर देती है।

Question 15

[05 Marks]



Briefly discuss the scope of High Court's power of review under the Code of Civil Procedure, 1908 (the code').

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संहिता') के तहत उच्च न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति के दायरे पर संक्षेप में चर्चा करें।

Sample answer :

Linked provisions: Section 114 – Review

Order 47 -Review

The Code of Civil Procedure grants the Right of Review as a remedy to be sought for and applied under certain criteria and circumstances. This right is intended to rectify any error or mistake that may have been made in the court's ruling. Many restrictions and criteria are listed in Order 47 of the Code of Civil Procedure with regard to this right.

section 114 cpc: About

A review petition may be submitted in the same court that issued the decree or order on the following reasons by anybody who feels wronged by a decree or order in which an appeal is permitted but not filed, or by a decree or order form in which no appeal is allowed, as per section 114 cpc bare act.

- When a decision is rendered following a referral from a Small Causes Court;
- When a decree or order is issued that is subject to appeal under the CPC but no appeal is filed, and
- When a decree or order is issued that is not subject to appeal under the CPC.

In addition, there are rationales for the submission of a review application. These rationales comprise:

- A review petition may be filed in cases where new information comes to light that was either not known by the dead at the time of the decree or was not filed by them.
- A review petition may be filed if an error or mistake is found that is evident from the record and does not require further evidence to support it.
- The deceased may submit a review petition if the order's decree prohibits them from appealing.
- A review petition may be filed if the decedent did not appeal the decree against him and an appeal is permitted.
- A party may submit a review petition if the court determines that it has enough justification.

लिकिंग प्रावधान: धारा 114 – पुनर्विलोकन

आदेश 47-पुनर्विलोकन

सिविल प्रक्रिया संहिता कुछ मानदंडों और परिस्थितियों के तहत मांगे जाने वाले और लागू किए जाने वाले उपाय के रूप में पुनर्विलोकन का अधिकार प्रदान करती है। इस अधिकार का उद्देश्य न्यायालय के निर्णय में हुई किसी भी त्रुटि या गलती को सुधारना है। इस अधिकार के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 में कई प्रतिबंध और मानदंड सूचीबद्ध हैं।

धारा 114 सीपीसी: के बारे में

एक पुनर्विलोकन याचिका उसी न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है जिसने निम्नलिखित कारणों से डिक्ली या आदेश जारी किया है, यदि कोई व्यक्ति किसी डिक्ली या आदेश द्वारा गलत महसूस करता है जिसमें अपील की अनुमति है लेकिन दायर नहीं की गई है, या किसी डिक्ली या आदेश प्रपत्र द्वारा जिसमें कोई अपील नहीं की गई है। सीपीसी धारा 114 के अनुसार अपील की अनुमति है।

- जब लघु वाद न्यायालय से संप्रेषण के बाद कोई निर्णय दिया जाता है;
- जब कोई डिक्ली या आदेश जारी किया जाता है जो सीपीसी के तहत अपील के अधीन है लेकिन कोई अपील दायर नहीं की जाती है, और





- जब कोई डिक्री या आदेश जारी किया जाता है जो सीपीसी के तहत अपील के अधीन नहीं है। इसके अलावा, पुनर्विलोकन आवेदन जमा करने के लिए तर्क भी हैं। इन तर्कों में शामिल हैं:
- एक पुनर्विलोकन याचिका उन मामलों में दायर की जा सकती है जहां नई जानकारी सामने आती है जो या तो डिक्री के समय पीड़ित को ज्ञात नहीं थी या उनके द्वारा दायर नहीं की गई थी।
- यदि कोई त्रुटि या भूल पाई जाती है जो अभिलेख से स्पष्ट है और इसके समर्थन में अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है तो पुनर्विलोकन याचिका दायर की जा सकती है।
- यदि आदेश की डिक्री उन्हें अपील करने से रोकती है तो पीड़ित एक पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत कर सकता है।
- यदि पीड़ित ने अपने खिलाफ डिक्री के खिलाफ अपील नहीं की है तो एक पुनर्विलोकन याचिका दायर की जा सकती है और अपील की अनुमति है।
- यदि न्यायालय यह निर्धारित करता है कि इसके पास पर्याप्त औचित्य है तो कोई पक्ष पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

Question 16

[05 Marks]

State the consequences if magistrate not empowered by law issues a search warrant under section 94. & List out five irregularities of such nature?

यदि मजिस्ट्रेट विधि द्वारा सशक्त नहीं है तो धारा 94 के तहत तलाशी वारंट जारी करता है तो परिणाम बताएं। और ऐसी प्रकृति के पांच अनियमितों की सूची बनाएं?

Sample answer :

Linked provision: Section 94- Search of place suspected to contain stolen property, forged documents, etc.

Section 460 - Irregularities which do not vitiate proceedings

Section 94 of CrPC provides for the search of a place that is suspected to contain stolen property, forged documents etc. It states that a District Magistrate, Sub-divisional Magistrate or Magistrate of first-class may issue warrant to a police officer above the rank of a constable authorizing him to enter, search, take possession of any property, convey any article or to take into custody upon information and inquiry as the Magistrate thinks necessary or has reason to believe that any place is used for deposit or sale of stolen property, or for the deposit or sale of stolen property or for the deposit, sale or production of any objectionable article to which this section applies.

Chapter 35 of the Code deals with irregularity under Criminal procedure code. The irregular proceedings are divided in two parts, first section 460 which deals irregularities which cannot vitiate or make the whole procedure void.

It provides that if any Magistrate who is not empowered to do any of the following nine things, erroneously and in good faith, does that thing, his proceedings are not to be set aside, merely on the ground of his not being empowered to do so. One of the irregularities is section 94, therefore, if the search warrant is issued by any magistrate other than District Magistrate, Sub-divisional Magistrate or Magistrate of first-class then also it will not vitiate the proceedings.

Some other situations where irregularities do not vitiate the proceedings are:

1. To make over a case under section 192(2)
2. To under the police to investigate an offence under section 155
3. To hold inquest under section 176
4. To tender a pardon under section 306
5. To recall a case and try it himself under section 410

लिकिंग प्रावधान: धारा 94- चोरी की संपत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने के संदेह वाले स्थान की तलाशी।

धारा 460 - अनियमितताएँ जिनसे कार्यवाही दूषित न हो

सीआरपीसी की धारा 94 ऐसे स्थान की तलाशी का प्रावधान करती है जहां चोरी की संपत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह हो। इसमें कहा गया है कि एक जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट रैंक से ऊपर के पुलिस अधिकारी को वारंट जारी कर सकते हैं। एक कांस्टेबल को किसी भी संपत्ति में प्रवेश करने, तलाशी लेने, कब्जा लेने, किसी भी वस्तु को लाने या सूचना और पूछताछ पर हिरासत में लेने के लिए अधिकृत किया जाता है क्योंकि मजिस्ट्रेट आवश्यक समझता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी भी स्थान का उपयोग चोरी की संपत्ति को जमा करने या बेचने के लिए किया जाता है, या चोरी की संपत्ति को जमा करने या बेचने के लिए या किसी आपत्तिजनक वस्तु को जमा करने, बेचने या उत्पादन करने के लिए, जिस पर यह धारा लागू होती है।

संहिता का अध्याय 35 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत अनियमितता से संबंधित है। अनियमित कार्यवाही को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला धारा 460 जो अनियमितताओं से संबंधित है जो पूरी प्रक्रिया को दूषित या शून्य नहीं कर सकती है।





इसमें प्रावधान है कि यदि कोई मजिस्ट्रेट, जो निम्नलिखित नौ चीजों में से कोई भी करने के लिए सशक्त नहीं है, गलती से और सद्भावना से वह काम करता है, तो उसकी कार्यवाही को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है। अनियमितताओं में से एक धारा 94 है, इसलिए, यदि तलाशी वारंट जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अलावा किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है, तो भी कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।

कुछ अन्य स्थितियाँ जहाँ अनियमितताएँ कार्यवाही को दूषित नहीं करतीं, वे हैं:

1. धारा 192(2) के तहत मामला बनाना
2. धारा 155 के तहत किसी अपराध का अन्वेषण पुलिस के अधीन करना
3. धारा 176 के तहत मृत्यु समीक्षा करना
4. धारा 306 के अंतर्गत क्षमादान करना
5. धारा 410 के तहत किसी मामले को वापस बुलाना और उसका विचारण खुद चलाना।

Question 17

[06 Marks]

Write the types of summons that can be issued under Code of civil procedure to defendant & to witness? Also explain subsequent effect of such summon?

सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जारी किये जा सकने वाले समन के प्रकार लिखिए जो प्रतिवादी और गवाह को जारी किए जा सकते हैं? ऐसे सम्मन के बाद के प्रभाव को भी स्पष्ट करें?

Sample answer:

Linked provisions: Order 5- Issue and service of summons

Order 16- Summoning and attendance of witnesses

The issue and service of summonses to the defendant are explicitly covered by order 5 Code of civil procedure .

Types of Summons are:

Personal or Direct Service:

- In this manner, a copy of the summons is sent to the individual in question, his agent, or any other person acting on their behalf; the recipient of the summons is required to acknowledge receipt of the document.
- The officer delivering the summons has an obligation to make sure that it is served correctly and to affix an endorsement that details the date, time, and mode of service, the name and address of the recipient, and the witness to the summons delivery.
- The order's rules 10- 16 and Rule 18 address direct or personal service.

Service by the Court

- Rule 9 of the Order addresses summons served by the court.
- It stipulates that the court official must serve the summons to the defendant if he lives within the court's jurisdiction.
- It may also be served by authorized courier service, mail, fax, message, email, or other means; however, if the defendant does not reside in the jurisdiction, the officer of the court in whose jurisdiction he resides must serve it.

Service by Plaintiff

- Rule 9A of the Order states that the plaintiff may request permission from the court to serve the defendants with a summons.
- In addition to making sure the defendant summons accepts the service, he must provide a copy of the sealed and signed summons signed by the judge or another officer designated by the judge.
- The court will resend the summons as well as serve it to the defendant if they do not accept its service or if it is not possible to serve it in person.

Substituted Service

- A method of serving a summons to defendant in cpc that is used in lieu of the customary method is known as substituted service.
- Rules 17, 19, and 20 of the Order specify two types of replacement service.

Summons by Post

- The Amendment Act of 1976 eliminated a previous provision in the Code that allowed the summons to be served by mail in accordance with Rule 20A of the Order.





In consequence of the summons served it is the duty of defendant to appear and file his defence in pleading i.e. written statement within 30 days from the date of service of summons but the Court may be extent such period up to 90 days from such service. If defendant fails to file such written statement then the court has empowered with pronounce judgment against such defendant, subject to its discretion to call for proof of fact pleaded by the plaintiff.

लिंकिंग प्रावधान: आदेश 5- समन जारी करना और तामील करना

प्रतिवादी को समन जारी करना और तामील करना स्पष्ट रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 के अंतर्गत आता है।

समन के प्रकार हैं:

व्यक्तिगत या प्रत्यक्ष तामील:

- इस तरीके से, समन की एक प्रति संबंधित व्यक्ति, उसके अभिकर्ता, या उनकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को भेजी जाती है; समन प्राप्तकर्ता को दस्तावेज़ की प्राप्ति स्वीकार करना आवश्यक है।
- समन पहुंचाने वाले अधिकारी का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इसे सही तरीके से दिया गया है और एक पृष्ठांकन चिपकाया जाए जिसमें तामील की तारीख, समय और तरीका, प्राप्तकर्ता का नाम और पता और समन परिदान के साक्षी का विवरण हो।
- आदेश के नियम 10-16 और नियम 18 प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत तामील को संबोधित करते हैं।

न्यायालय द्वारा तामील

- आदेश का नियम 9 न्यायालय द्वारा तामील किये गये समन को संबोधित करता है।
- यह निर्धारित करता है कि यदि प्रतिवादी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहता है तो न्यायालय के अधिकारी को प्रतिवादी को समन भेजना होगा।
- इसे अधिकृत डाक तामील, मेल, फैक्स, संदेश, ईमेल या अन्य माध्यमों से भी दिया जा सकता है; हालाँकि, यदि प्रतिवादी क्षेत्राधिकार में नहीं रहता है, तो न्यायालय के अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में वह रहता है, उसे इसकी तामील देनी होगी।

वादी द्वारा तामील

- आदेश के नियम 9-क में कहा गया है कि वादी न्यायालय से प्रतिवादियों को समन भेजने की अनुमति का अनुरोध कर सकता है।
- यह सुनिश्चित करने के अलावा कि प्रतिवादी समन तामील स्वीकार करता है, उसे न्यायाधीश या न्यायाधीश द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित सीलबंद और हस्ताक्षरित समन की एक प्रति प्रदान करनी होगी।
- यदि प्रतिवादी इसकी तामील स्वीकार नहीं करते हैं या व्यक्तिगत रूप से इसकी तामील करना संभव नहीं है तो न्यायालय समन को दोबारा भेजेगी और साथ ही इसे प्रतिवादी को भी तामील कराएगी।

प्रतिस्थापित तामील

- सीपीसी में प्रतिवादी को समन भेजने की एक विधि जो प्रथागत विधि के बदले में उपयोग की जाती है उसे प्रतिस्थापित तामील के रूप में जाना जाता है।
- आदेश के नियम 17, 19, और 20 दो प्रकार की प्रतिस्थापन तामील निर्दिष्ट करते हैं।

डाक द्वारा समन

- 1976 के संशोधन अधिनियम ने संहिता के उस पिछले प्रावधान को समाप्त कर दिया जो आदेश के नियम 20 - के अनुसार समन को मेल द्वारा भेजने की अनुमति देता था।

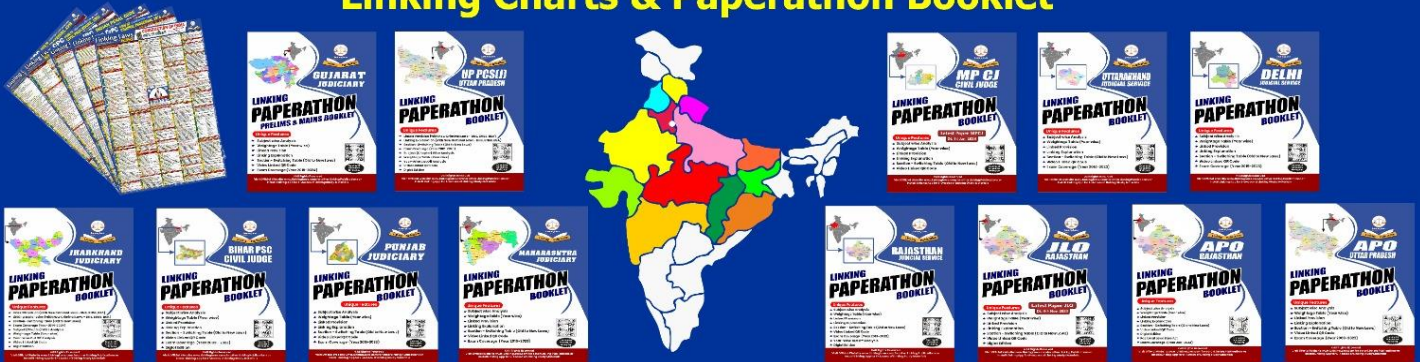
समन की तामील के परिणामस्वरूप प्रतिवादी का यह कर्तव्य है कि वह समन की तामील की तारीख से 30 दिनों के भीतर उपस्थित होकर अपना बचाव पक्ष यानी लिखित कथन दाखिल करे, लेकिन न्यायालय ऐसी अवधि को ऐसी तामील से 90 दिनों तक बढ़ा सकता है। यदि प्रतिवादी इस तरह के लिखित कथन को दाखिल करने में विफल रहता है तो न्यायालय को ऐसे प्रतिवादी के खिलाफ फैसला सुनाने का अधिकार है, जो वादी द्वारा प्रस्तुत तथ्य के सबूत के लिए अपने विवेक के अधीन है।

"Link the Life with Law"

All Judiciary Exam

LINKING PAPERATHON BOOKLETS

Linking Charts & Paperathon Booklet



Buy Now



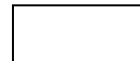
Scan this QR Code to
install the Linking App
and get Full PDF of
study material

Linking Laws
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
Get Subscription Now



Question 18

[04 Marks]



The law presumes that every person committing a crime is sane and liable for his acts. Section 84 Indian penal code carves an exception. Explain

विधि मानती है कि अपराध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति समझदार है और अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में एक अपवाद दिया गया है। व्याख्या करें।

Sample answer :

Linked provision: Section 84- Act of a person of unsound mind.

The law presumes that every person committing a crime is sane and liable for his acts. Section 84 stands as an exception towards this statement.

The defense of insanity is used by the defense to save their clients from capital punishment. It is based on the assumption that at the time of the crime, the defendant was suffering from severe mental illness and therefore, was incapable of appreciating the nature of the crime and differentiating right from wrong behavior, hence making them not legally accountable for the crime

The essential ingredients can be divided into three parts. It is necessary for the application of Section 84 to show

- That the accused was of unsound mind;
- That he was of unsound mind at the time he did the act and not merely before or after the act; and
- That as a result of unsoundness of mind, he was incapable of knowing the nature of the act and that what he was doing was either wrong or contrary to law.

The foundation for the law of insanity was laid down by the House of Lords in 1843, in what is popularly known as the M' Naghten case. The following principles were cited:

- If the person knew what he was doing or was only under a partial delusion, then he is punishable
- There is an assumption that every man is prudent or sane and knows what he is doing and is responsible for the same.
- To establish a defense based on insanity, it must be ascertained, at the time of perpetrating the act, the accused was in such a state of mind as was unable to know the nature of the act committed by him.
- A person who has sufficient medical knowledge, or is a medical man and is familiar with the disease of insanity cannot be asked to give his opinion because it is for the jury to determine, and decide upon the questions.

Therefore, the above statement i.e, the law presumes that every person committing a crime is sane and liable for his acts. Section 84 stands true as an exception towards this statement.

लिंकिंग प्रावधान: धारा 84- विकृत चित्त वाले व्यक्ति का कृत्य।

विधि मानती है कि अपराध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति समझदार है और अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायी है। धारा 84 इस कथन के अपवाद के रूप में है। पागलपन की प्रतिरक्षा का उपयोग प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अपने ग्राहकों को मृत्युदंड से बचाने के लिए किया जाता है। यह इस धारणा पर आधारित है कि अपराध के समय, प्रतिवादी गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित था और इसलिए, अपराध की प्रकृति को समझने और सही और गलत व्यवहार में अंतर करने में असमर्थ था, इसलिए वे अपराध के लिए विधिक रूप से जवाबदेह नहीं थे।

आवश्यक तत्वों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। धारा 84 का लागू होना दर्शाना आवश्यक है

- कि अभियुक्त मानसिक रूप से विकृष्ट था;
- कि जिस समय उसने यह कृत्य किया उस समय वह मानसिक रूप से विकृष्ट था, न कि केवल कृत्य के पहले या बाद में; और
- मानसिक अस्वस्थता के परिणामस्वरूप, वह कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था और वह जो कर रहा था वह या तो गलत था या विधि के विपरीत था।

पागलपन के विधि की नींव 1843 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा रखी गई थी, जिसे एम' नागटेन मामले के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित सिद्धांतों का हवाला दिया गया:

- यदि व्यक्ति जानता था कि वह क्या कर रहा है या केवल आंशिक भ्रम में था, तो वह दंडनीय है
- एक धारणा है कि हर आदमी विवेकपूर्ण या समझदार है और जानता है कि वह क्या कर रहा है और इसके लिए जिम्मेदार है।
- पागलपन के आधार पर बचाव स्थापित करने के लिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्य को अंजाम देते समय, अभियुक्त ऐसी मानसिक स्थिति में था कि वह अपने द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था।
- एक व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त चिकित्सा ज्ञान है, या एक चिकित्सा आदमी है और पागलपन की बीमारी से परिचित है, उसे अपनी राय देने के लिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह जूरी को निर्धारित करना है, और प्रश्नों पर निर्णय लेना है।

इसलिए, उपरोक्त कथन यानी विधि मानती है कि अपराध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति समझदार है और अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायी है। धारा 84 इस कथन के अपवाद के रूप में सत्य है।





Question 19

[06 Marks]

In the state of Kerala, the person who is accused, did not close his shop on the day of all India strike, "Bharat Bandh", he owns a flour mill. The activists entered the mill forcefully and demanded closure; they were armed with sharp objects as weapons.

They threatened to assault the person(x) and were attempted to attack to which the accused, X fired shots and killing two persons and injuring some innocent persons as well in such a shoot. His property, the flour mill, was set on fire. When the matter was taken to the court, both Trial Court and High Court held the appellant exceeded the right of private defence and was convicted for the same. Aggrieved by the judgment, an appeal by special leave was made in Supreme Court.

Whether X exceeded the right of private defence?

केरल राज्य में, जिस व्यक्ति पर आरोप है, उसने अखिल भारतीय हड़ताल, "भारत बंद" के दिन अपनी दुकान बंद नहीं की, वह एक आटा मिल का मालिक है। कार्यकर्ता जबरदस्ती मिल में घुस गये और बंद करने की मांग करने लगे; वे हथियार के रूप में धारदार वस्तुओं से सज्जित थे। उन्होंने व्यक्ति(x) पर हमला करने की धमकी दी और उन पर हमला करने का प्रयास किया गया, जिस पर आरोपी, X ने गोलियां चलाई और दो व्यक्तियों की हत्या कर दी और कुछ निर्दोष व्यक्तियों को भी घायल कर दिया। उनकी संपत्ति, आटा मिल, को आग लगा दी गई। जब मामला न्यायालय में ले जाया गया, तो विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने माना कि अपीलकर्ता ने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया और उसे इसके लिए दोषी ठहराया गया। फैसले से व्यथित होकर सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति द्वारा अपील की गई। क्या X ने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया है?

Sample answer:

Linked provisions: Section 96 - Things done in private defence

Section 99- Acts against which there is no right of private defence

Self-preservation is the prime instinct of every human being. The right of private defence is a recognized right in the criminal law. Therefore, Section 96 of Indian Penal Code, 1860 (in short 'the IPC') provides that nothing is an offence which is done in the exercise of the right of private defence. The question is, as happens in many cases, where exercise of such rights is claimed, whether the "LAKSHMAN REKHA", applicable to its exercise has been exceeded. Section 99 IPC delineates the extent to which the right may be exercised.

The above facts the taken from the case of JAMES MARTIN vs STATE OF KERALA Honorable Judges presented to hear this case were Justice Doraiswamy Raju and Justice Arijit Pasayat.

Following are key observations in this case:

1. The High Court observed explosive substances were used to destroy the properties of the accused, but did not explicitly answer the question whether the damage was prior or subsequent to the shooting by the accused.
2. The violence perpetrated by the Bandh activists who got into the appellant's place by scaling over the locked gate and that their entry was unlawful too.
3. Intimidating, assaulting and making them flee without shutting down the machines was also unlawful.
4. There was the threat of more violence to the person and properties, that the events taking place generated a sort of anger, rendering the situation explosive and beyond compromise.
5. The acts by the appellant were within the reasonable limits of exercise of his right of private defense and he was entitled to the protection afforded in law under section 96 of IPC.

The acts by the appellant were within reasonable limits and had a right to exercise private defense. Therefore, the appeal was allowed. This case is important and clears the scope of the right of private defense. When a person or his property is in grave danger because of the unlawful violence against him, then exercising the right of private defense extent to death is reasonable. The sets precedent and is relevant even today.

लिंकिंग प्रावधान: धारा 96 - प्राइवेट प्रतिरक्षा में किए गए कार्य

धारा 99- ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है

आत्म-संरक्षण प्रत्येक मनुष्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक विधि में एक मान्यता प्राप्त अधिकार है। इसलिए, भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 96 में प्रावधान है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। सवाल यह है कि, जैसा कि कई मामलों में होता है, जहां ऐसे अधिकारों के प्रयोग का दावा किया जाता है, क्या इसके प्रयोग पर लागू "लक्ष्मण रेखा" का उल्लंघन किया गया है। आईपीसी की धारा 99 यह बताती है कि अधिकार का प्रयोग किस हद तक किया जा सकता है।





उपरोक्त तथ्य जेम्स मार्टिन बनाम केरल राज्य के मामले से लिए गए हैं, इस मामले की सुनवाई के लिए माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति दोराईस्वामी राजू और न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत थे।

इस मामले में प्रमुख टिप्पणियाँ निम्नलिखित हैं:

1. उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियुक्तों की संपत्तियों को नष्ट करने के लिए विस्फोटक पदार्थों का उपयोग किया गया था, लेकिन इस सवाल का स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दिया कि क्या क्षति अभियुक्तों द्वारा गोली चलाने से पहले या बाद में हुई थी।
2. बंद कार्यकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा, जो बंद गेट को फांदकर अपीलकर्ता के स्थान में घुस गए और उनका प्रवेश भी विधिविरुद्ध था।
3. उन्हें डराना-धमकाना, हमला करना और मशीनें बंद किए बिना भगा देना भी विधिविरुद्ध था।
4. व्यक्ति और संपत्तियों पर अधिक हिंसा का खतरा था, घटित होने वाली घटनाओं ने एक प्रकार का गुस्सा पैदा किया, जिससे स्थिति विस्फोटक और समझौते से परे हो गई।
5. अपीलकर्ता द्वारा किए गए कार्य उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग की उचित सीमा के भीतर थे और वह आईपीसी की धारा 96 के तहत विधि में दी गई सुरक्षा का हकदार था।

अपीलकर्ता के कृत्य उचित सीमा के भीतर थे और उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार था। इसलिए, अपील की अनुमति दी गई। यह मामला महत्वपूर्ण है और प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के दायरे को स्पष्ट करता है। जब कोई व्यक्ति या उसकी संपत्ति उसके खिलाफ विधिविरुद्ध हिंसा के कारण गंभीर खतरे में है, तो मृत्यु तक प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग उचित है। यह मिसाल कायम करता है और आज भी सुसंगत है।

Question 20

[10 Marks]



Read the following facts carefully and write judgment after framing necessary issues/ निम्नलिखित का सावधानी से पठन करें और आवश्यक वादपद बनाकर निर्णय लिखिए-

The plaintiff Ramesh Sahu, resident of Pratap Nager Jaipur filed a suit against the defendant Suresh for specific performance of contract. According to plaintiff, defendant is owner of plot number 304 at Pratap Nager measuring 205 square meter for which the defendant Suresh entered into agreement of sale on 1-7-2015 for consideration of rupees 10 lakhs. It is claimed by the plaintiff that a sum of rupees 5 lacs was paid on the date of agreement as advance and remaining amount of rupees 5 lakhs was to be paid up to October 2015. The agreement of sale was registered on the same day. The plaintiff paid remaining amount of rupees 5 lacs through a bank draft on October 3, 2015. On demand of execution of sale deed by plaintiff, the defendant refused for execution and offer to return the sum of rupees 10 lakhs received from plaintiff for which plaintiff did not agree. Plaintiff sent a legal notice to defendant through his advocate Dinesh Kumar which was returned with "Refused to Accept" note.

वादी रमेश साहू निवासी प्रताप नगर जयपुर ने प्रतिवादी सुरेश के विरुद्ध संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद दायर किया। वादी के अनुसार, प्रतिवादी प्रताप नगर में 205 वर्ग मीटर के भूखंड संख्या 304 का मालिक है, जिसके लिए प्रतिवादी सुरेश ने 1-7-2015 को 10 लाख रुपये के लिए विक्रय का करार किया। वादी द्वारा दावा किया गया है कि करार की तिथि पर 5 लाख रुपये की राशि का भुगतान अग्रिम के रूप में किया गया था और शेष 5 लाख रुपये की राशि अक्टूबर 2015 तक भुगतान की जानी थी। विक्रय का करार उसी दिन पंजीकृत किया गया था। वादी ने 3 अक्टूबर, 2015 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शेष 5 लाख रुपये का भुगतान किया। वादी द्वारा विक्रय विलेख के निष्पादन की मांग पर, प्रतिवादी ने निष्पादन से इनकार कर दिया और वादी से प्राप्त 10 लाख रुपये की राशि वापस करने की पेशकश की, जिसके लिए वादी सहमत नहीं था। वादी ने अपने अधिवक्ता दिनेश कुमार के माध्यम से प्रतिवादी को एक विधिक नोटिस भेजा, जिसे "स्वीकार करने से इंकार" नोट के साथ वापस कर दिया गया।

The plaintiff produced agreement of sale dated 1-7-2015 (Ex. P-1), said to be executed by defendant. In addition, the plaintiff has also produced a photocopy of bank draft of rupees 5 lacs dated 3-10-2015 as (Ex. P-2). The plaintiff has also produced a copy of legal notice sent by his advocate Dinesh Kumar as (Ex. P-3). The defendant has accepted the receipt of rupees 5 lakhs as advance and another 5 lakhs as second installment but refused the receipt of any legal notice. In addition the defendant has also argued that the property agreed to be sold is ancestral property in which his 2 adult sons also have the right and they are refusing to sell the property. Hence, under the changed circumstances, it is not possible to enforce specific performance of contract. Hence the suit is liable to be dismissed. The defendant has reiterated that he is agreed to return the amount of 10 lakhs received by him.

वादी ने दिनांक 1-7-2015 (Ex. P-1) का विक्रय करार प्रस्तुत किया, जिसे प्रतिवादी द्वारा निष्पादित किया जाना कहा जाता है। इसके अलावा, वादी ने 3-10-2015 के रूप में 5 लाख रुपये के बैंक ड्राफ्ट की एक प्रति भी पेश की है (Ex. P-2)। वादी ने अपने अधिवक्ता दिनेश कुमार द्वारा (Ex. P-3) के रूप में भेजे गए विधिक नोटिस की एक प्रति भी प्रस्तुत की है। प्रतिवादी ने अग्रिम के रूप में 5 लाख रुपये और दूसरी किस्त के रूप में 5 लाख रुपये की प्राप्ति स्वीकार की है लेकिन किसी भी विधिक नोटिस की प्राप्ति से इनकार कर दिया है। इसके अलावा प्रतिवादी ने यह भी तर्क दिया है कि बेची जाने वाली संपत्ति पैतृक संपत्ति है जिसमें उसके 2 वयस्क पुत्रों का भी अधिकार है और वे संपत्ति बेचने से इनकार कर





रहे हैं। इसलिए, बदली हुई परिस्थितियों में, संविदा का विनिर्दिष्ट पालन करना संभव नहीं है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी ने दोहराया है कि वह उसके द्वारा प्राप्त 10 लाख की राशि वापस करने के लिए सहमत है।

Sample answer:

**THE COURT OF..... ..CIVIL JUDGE FIRST CLASS,
Jaipur, Rajasthan
(Presided by.....)
न्यायालय सिविल न्यायाधीश प्रथम श्रेणी,.....
जयपुर, राजस्थान
(पीठासीन न्यायाधीश.....)**

CIS No.....
Civil Suit No...../2017/A
Date of institution:

Ramesh Sahu, S/o.....
Age....., R/o Pratap Nager Jaipur,
Occupation.....

.....Plaintiff (वादी)

Suresh, S/o.....
Age..... R/o.....
Occupation.....

Versus

.....Defendant (प्रतिवादी)

Present Counsel:
Shri.....Advocate for Plaintiff
Shri..... Advocate for Defendant

JUDGMENT (Pronounced on.....day of.....2017)

- The present suit has been instituted by the plaintiff against the defendant under section 10 of the Specific Relief Act, 1963 (hereinafter referred to as 'SRA') for the specific performance of the contract regarding sale of plot number 304 situated at Pratap Nager Jaipur measuring 205 square metre (hereinafter referred to as the 'suit property'), for the consideration of rupees 10 lakhs.
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (इसके बाद 'एसआरए' के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के तहत वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध प्रताप नगर जयपुर में स्थित प्लॉट संख्या 304, 205 वर्ग मीटर (बाद में 'वाद संपत्ति' के रूप में संदर्भित), 10 लाख रुपये के प्रतिफल के लिए के विक्रय के संबंध में संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वर्तमान वाद दायर किया गया है।
- The receipt of rupees 5 lacs as advance and another 5 lakhs as second instalment from the plaintiff by the defendant as consideration for the agreement to sell of the suit property is an admitted fact in the present case.
वाद संपत्ति को विक्रय करार के प्रतिफल के रूप में प्रतिवादी द्वारा वादी से अग्रिम के रूप में 5 लाख रुपये और दूसरी किस्त के रूप में अन्य 5 लाख रुपये की प्राप्ति वर्तमान मामले में एक स्वीकृत तथ्य है।
- The case of the plaintiff in brief is that on 1-7-2015 he entered into an agreement with the defendant to purchase the suit property of which the defendant is owner for a consideration of rupees 10 lakhs. According to the plaintiff a sum of rupees 5 lakhs was paid on the date of agreement as advance and remaining amount of 5 lakhs was to be paid by October 2015. The agreement for sale was registered on the same day and the plaintiff paid remaining amount of rupees 5 lakhs through bank draft on 3-10-2015. On demand of execution of sale deed by plaintiff, the defendant refused execution and offered to return the sum of rupees 10 lakhs received from plaintiff to which plaintiff did not agree. Thereafter the plaintiff sent a legal notice to defendant through his advocate which was returned with "Refusal to Accept" note. Hence the plaintiff has instituted the present suit. It was further pleaded that the suit is within the limitation period and is within the jurisdiction of this court and proper court fee has been deposited.
वादी का मामला संक्षेप में यह है कि 1-7-2015 को उसने प्रतिवादी के साथ 10 लाख रुपये के प्रतिफल के लिए उस वाद संपत्ति को खरीदने के लिए एक करार किया, जिसका प्रतिवादी मालिक है। वादी के अनुसार 5 लाख रुपये की राशि करार की तिथि पर अग्रिम के रूप में भुगतान की गई थी और शेष 5 लाख की राशि अक्टूबर 2015 तक भुगतान की जानी थी। विक्रय के लिए करार उसी दिन पंजीकृत किया गया था और वादी ने शेष 5 लाख रुपये राशि का भुगतान किया था। 3-10-2015 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया। वादी द्वारा विक्रय विलेख के निष्पादन की मांग पर, प्रतिवादी ने निष्पादन से इनकार कर दिया और वादी से प्राप्त 10 लाख रुपये की राशि वापस करने की पेशकश की, जिससे वादी सहमत नहीं हुआ। तत्पश्चात वादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादी को एक विधिक नोटिस भेजा, जिसे "स्वीकार करने से इंकार" नोट के साथ वापस कर दिया गया। अतः वादी ने वर्तमान वाद संस्थित किया है। आगे यह तर्क दिया गया था कि वाद समय सीमा के भीतर है और इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है और उचित न्यायालय शुल्क जमा किया गया है।
- The defendant in his written statement, while admitting the receipt of rupees 10 lakhs as consideration from the plaintiff, vehemently denied the averments made in the plaint and pleaded that the suit property is ancestral





property in which his two adult sons also have the right and they are refusing to sell the property. So under these changed circumstances, the specific performance of the contract cannot be granted, and hence the defendant prayed for the dismissal of the suit and offered to return the consideration amount.

प्रतिवादी ने अपने लिखित कथन में, वादी से प्रतिफल के रूप में 10 लाख रुपये की प्राप्ति स्वीकार करते हुए, वाद में किए गए अभिकथनों का जोरदार खंडन किया और दलील दी कि वाद संपत्ति पैतृक संपत्ति है जिसमें उसके दो वयस्क पुत्रों का भी अधिकार है और वे संपत्ति बेचने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए इन बदली हुई परिस्थितियों में, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन की अनुमति नहीं दी जा सकती है, और इसलिए प्रतिवादी ने वाद को खारिज करने की प्रार्थना की और प्रतिफल राशि वापस करने की पेशकश की।

5. On the basis of admissions and denials of parties and on bedrock of oral examination of parties under Order 10, rule 2 of Code of Civil Procedure, 1908 (here in after referred to as 'CPC') and other pleadings and documents as produced, this court frames following considerable issues:-

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 10, नियम 2 (इसके बाद 'सीपीसी' के रूप में संदर्भित), पक्षकारों की मौखिक परीक्षा के आधार पर और पक्षों की स्वीकृति और अस्वीकार के आधार पर और प्रस्तुत किए गए अन्य अभिवचनों और दस्तावेजों के आधार पर, यह न्यायालय निम्नलिखित महत्वपूर्ण विवादक की विरचना करता है:-

S. No	Issues	Onus of Proof	Findings
(i)	Whether the defendant has committed the breach of contract? / क्या प्रतिवादी ने संविदा भंग किया है?	Plaintiff / वादी	Proved / प्रमाणित
(ii)	Whether the plaintiff has been ready and willing to perform his part of contract? / क्या वादी संविदा के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक है?	Plaintiff / वादी	Proved / प्रमाणित
(iii)	Whether the plaintiff is entitled to specific performance of the contract? / क्या वादी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का हकदार है?	Plaintiff / वादी	Proved / प्रमाणित
(iv)	Relief and cost / अनुतोष और लागत		Suit decreed. Other reliefs as per judgment. / वाद निर्णीत। निर्णय के अनुसार अन्य अनुतोष।

DETERMINATION & ANALYSIS OF ISSUES WITH REASONS

Issue No. (i)

6. As per section 102 of the Indian Evidence Act, 1872 (hereinafter referred to as 'IEA') and according to the maxim 'actori incumbit onus probandi' the onus of proving this issue lies on the plaintiff. To discharge this burden, the plaintiff first examined himself as PW 1 and deposed that on 1-7-2015 he entered into an agreement (Ex. P-1) with the defendant to purchase the suit property for rupees ben10 lakhs and paid rupees 5 lakhs on the same day and remaining both 5 lakhs on 3-10-2015 through a bank draft. Photocopy of the bank draft is (Ex. P-2). When PW 1 demanded the execution of sale deed, the defendant refused. PW 1 further deposed that thereafter he served a legal notice on the defendant through his advocate Dinesh Kumar. The copy of legal notice is (Ex. P-3). Witness was cross-examined but remained uncorroborated.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 102 के अनुसार (इसके बाद 'आईईए' के रूप में संदर्भित) और सूक्ति 'एक्टोरी इंकम्बिट ऑनस प्रोबंडी' के अनुसार इस विवादक को साबित करने का दायित्व वादी पर है। इस भार का निर्वहन करने के लिए, वादी ने पहले खुद को PW 1 के रूप में जांचा और कहा कि 1-7-2015 को उसने प्रतिवादी के साथ 10 लाख रुपये में वाद की संपत्ति खरीदने के लिए एक करार (Ex. P-1) किया और 5 लाख रुपये का भुगतान किया उसी दिन में और शेष 5 लाख बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से 3-10-2015 को भुगतान किया। बैंक ड्राफ्ट की प्रति है (Ex. P-2)। जब PW 1 ने विक्रय विलेख के निष्पादन की मांग की, तो प्रतिवादी ने इनकार कर दिया। PW 1 ने आगे कहा कि उसके बाद उसने अपने अधिवक्ता दिनेश कुमार के माध्यम से प्रतिवादी को विधिक नोटिस दिया। विधिक नोटिस की प्रति है (Ex. P-3)। साक्षी से प्रति-परीक्षा की गई लेकिन वह असंपुष्ट रहा।

7. Further advocate Dinesh Kumar appeared as PW 2 and deposed that he served a legal notice upon the defendant which was returned with the note, "Refused to Accept". In this way PW 2 corroborated the testimony of PW 1. Also the fact that the notice was returned with "Refused to Accept" note, amounts deemed service as per broad principle enshrined under Order V, rule 9(5) of CPC43. PW 2 was cross examined but remained un rebutted.

आगे अधिवक्ता दिनेश कुमार PW 2 के रूप में पेश हुए और उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रतिवादी को एक विधिक नोटिस दिया था, जिसे "स्वीकार करने से इनकार" नोट के साथ वापस कर दिया गया था। इस तरह PW 2 ने PW 1 की गवाही की पुष्टि की। साथ ही तथ्य यह भी है कि नोटिस "स्वीकार करने से इनकार" नोट के साथ लौटाया गया था, सीपीसी के आदेश 5, नियम 9(5) के तहत निहित व्यापक सिद्धांत के अनुसार उसे तामिल माना जाएगा। PW 2 की प्रति-परीक्षा की गई लेकिन अखंडित रहा।

8. Per contra, defendant appeared as DW 1 and deposed that the suit property is ancestral property in which his two adult sons are also having rights and they are refusing to sell the property. DW 1 further deposed that he has not





received any legal notice and that he is willing to return the consideration of 10 lakhs received from the plaintiff. DW1 was cross examined but remained unrebutted.

इसके विपरीत, प्रतिवादी DW 1 के रूप में पेश हुआ और उसने कहा कि वाद संपत्ति पैतृक संपत्ति है जिसमें उसके दो वयस्क पुत्रों का भी अधिकार है और वे संपत्ति बेचने से इनकार कर रहे हैं। DW 1 ने आगे बताया कि उसे कोई विधिक नोटिस नहीं मिला है और वह वादी से प्राप्त 10 लाख रुपये वापस करने को तैयार है। DW1 की प्रति-परीक्षा की गई लेकिन अखंडित रहा।

9. On the perusal of the matter on record, this court is of the considered view as follows. According to section 37 of Indian Contract Act, 1872 (hereinafter 'ICA') it is the obligation of the parties to either perform or offer to perform their respective parts of the contract unless their performance is dispensed with by law. In the present case it was the obligation of DW 1 to execute sale deed but by refusing to do so, he committed the breach of the contract.

अधिकृत मामले के अवलोकन पर, यह न्यायालय निम्नानुसार माना जाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (इसके बाद 'आईसीए') की धारा 37 के अनुसार, पक्षकारों का यह दायित्व है कि वे या तो संविदा के अपने संबंधित भागों का पालन करें या पालन करने की पेशकश करें जब तक कि उनके पालन को विधि द्वारा समाप्त नहीं किया जाता है। वर्तमान मामले में DW 1 का दायित्व था कि वह विक्रय विलेख निष्पादित करे लेकिन ऐसा करने से इनकार करके उसने संविदा को भंग किया।

10. DW 1 has also alleged that the refusal of his sons to sell the property is a changed circumstance which has rendered the contract unenforceable. However due to the doctrine of 'promissory estoppels' the defendant is estopped from retracting from the position taken by him while entering into the contract. Further sections 91 and 92 of IEA debar the defendant from giving oral evidence of what is contradictory to the written contract except under the circumstances specifically mentioned under provisos to section 92 of IEA. Moreover he has not rendered any evidence to prove that the property is ancestral property and none of his sons has made any objection to the prospective transfer. Therefore DW1 is entitled to sell the suit property to the plaintiff. Hence DW1 is a competent transferor under section 7 of TPA.

DW 1 ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके पुत्रों द्वारा संपत्ति बेचने से इंकार करना एक बदली हुई परिस्थिति है जिसने संविदा को अप्रवर्तनीय बना दिया है। हालांकि 'वचनबद्धता विबंधन' के सिद्धांत के कारण प्रतिवादी को संविदा में प्रवेश करते समय उसके द्वारा ली गई स्थिति से पीछे हटने से रोक दिया जाता है। आगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 और 92 प्रतिवादी को लिखित संविदा के विरोधाभासी होने का मौखिक साक्ष्य देने से रोकता है, सिवाय उन परिस्थितियों को छोड़कर जो विशेष रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के प्रावधानों के तहत उल्लिखित हैं। इसके अलावा उन्होंने यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि संपत्ति पैतृक संपत्ति है और उनके किसी भी पुत्र ने संभावित अंतरण पर कोई आपत्ति नहीं की है। इसलिए DW1 वाद की संपत्ति को वादी को बेचने का हकदार है। इसलिए DW1 टीपीए की धारा 7 के तहत एक सक्षम अंतरणकर्ता है।

11. Hence, it is concluded on the basis of proved facts analyzed in the light of law applicable that, the version of the defendant is not tenable in the eyes of law and it stands proved that he committed the breach of the contract by not performing his obligation to execute the sale deed. So Issue No. (i) is held to be proved.

इसलिए, लागू विधि के आलोक में विश्लेषण किए गए सिद्ध तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रतिवादी का कथन विधि की नजर में मान्य नहीं है और यह साबित हो गया है कि उसने अपने विक्रय विलेख निष्पादित करने के दायित्व का पालन न करके संविदा को भंग किया है। अतः विवादक संख्या (i) को साबित होना माना जाता है।

Issue No. (ii) and (iii)

12. The next issue to be determined by the court is whether the plaintiff has been ready and willing to perform his part of the contract. Onus to prove this issue lies on the plaintiff. As per section 16(c) of the SRA plaintiff has to aver and prove his readiness and willingness to perform the contract in order to get relief of specific performance in his favour. "Readiness" means that he should be financially sound to perform his part. DW 1 has admitted that plaintiff has paid entire consideration and therefore as per section 58 of IEA this fact need not be proved. Also Ex. P2 proves that plaintiff was financially sound. Hence, the plaintiff was ready to perform his part. "Willingness" means that the plaintiff had the intention to perform his contract and he has taken certain steps to perform that. Exhibits P1, P2 and P3 clearly show that the plaintiff has taken the necessary steps to fulfill his obligation. Hence these exhibits are relevant under Section 8 of IEA as to show conduct of PW 1 influenced by the fact in issue and also under section 14 of IEA as they manifest the intention of PW1 to perform his contract. Hence it stands proved that the plaintiff was ready and willing to perform his part in the contract.

न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाने वाला अगला विवादक यह है कि क्या वादी संविदा के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तत्पर और इच्छुक है। इस विवादक को सिद्ध करने का भार वादी पर है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16(c) के अनुसार वादी को अपने पक्ष में विनिर्दिष्ट पालन का अनुतोष पाने के लिए संविदा को पूरा करने के लिए अपनी तत्परता और इच्छा को सिद्ध करना और साबित करना है। "तत्परता" का अर्थ है कि उसे अपनी भूमिका निभाने के लिए आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए। DW 1 ने स्वीकार किया है कि वादी ने पूरे प्रतिफल का भुगतान कर दिया है और इसलिए आईईए की धारा 58 के अनुसार इस तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। Ex. P2 साबित करता है कि वादी आर्थिक रूप से मजबूत था। इसलिए, वादी अपने हिस्से का पालन करने के लिए तैयार था। "इच्छा" का अर्थ है कि वादी का आशय अपनी संविदा को पूरा करने का था और उसने इसे पूरा करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। दस्तावेज़ P1, P2 और P3 स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि वादी ने अपने दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। इसलिए ये दस्तावेज़ आईईए की धारा 8 के तहत सुसंगत हैं क्योंकि PW1 के आचरण को विवादक तथ्य से प्रभावित दिखाया गया है और आईईए की धारा 14 के तहत भी क्योंकि वे अपनी संविदा को पूरा करने के लिए PW1 के आशय को प्रकट करते हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि वादी अनुबंध में अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर और इच्छुक था।

13. Now the question before this court is that whether the plaintiff is entitled to get specific performance of the contract. According to explanation to section 10 of SRA, the court shall presume that the breach of contract to transfer immovable property cannot be adequately relieved by compensation in money. In present case there has been a





breach of contract to sell immovable property. But section 10 is subject to other provisions of Chapter II of the SRA, most important of which is the compliance of section 16(c) which plaintiff has complied with. Also as per the requirements of section 7 of the Transfer of Property Act, 1882, the defendant is fully entitled to transfer the property. So this court deems this case to be a proper case to exercise its discretion under section 20 of SRA and holds that the plaintiff is entitled to get the specific performance of the contract. Hence, Issue No. (ii) and (iii) are held to be proved.

अब इस न्यायालय के सामने सवाल यह है कि क्या वादी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन को पाने का हकदार है। एसआरए की धारा 10 के स्पष्टीकरण के अनुसार, न्यायालय यह मान लेगा कि स्थावर संपत्ति के अंतरण की संविदा भंग को धन में प्रतिकर से पर्याप्त रूप से अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान मामले में स्थावर संपत्ति बेचने के लिए संविदा को भंग किया गया है। लेकिन धारा 10 एसआरए के अध्याय II के अन्य प्रावधानों के अधीन है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण धारा 16(सी) का अनुपालन है जिसे वादी ने संकलित किया है। साथ ही संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 7 की आवश्यकताओं के अनुसार, प्रतिवादी संपत्ति को अन्तरित करने का पूर्ण हकदार है। इसलिए यह न्यायालय इस मामले को एसआरए की धारा 20 के तहत अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए एक उचित मामला मानता है और मानता है कि वादी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन को पाने का हकदार है। इसलिए, विवादक संख्या (ii) और (iii) को सिद्ध किया जाता है।

Issue No. (iv)

14. After having determined all the issues, this court passes the decree of specific performance of contract regarding the suit property in favour of the plaintiff and grants the followings reliefs:—

सभी विवादकों का निर्धारण करने के बाद, यह न्यायालय वादी के पक्ष में वाद संपत्ति के संबंध में संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का आदेश पारित करता है और निम्नलिखित अनुतोष प्रदान करता है:-

- Plaintiff is entitled to specifically enforce the contract against the defendant.
वादी विशेष रूप से प्रतिवादी के विरुद्ध संविदा को प्रवर्तित कराने का हकदार है।
- Defendant shall execute a registered sale deed in plaintiff's favour.
प्रतिवादी वादी के पक्ष में एक पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित करेगा।
- The defendants shall bear his own cost and also the cost of the plaintiff in the suit.
प्रतिवादी अपना खर्च वहन करेगा और वाद में वादी का खर्चा भी।
- Certified advocates fee shall be included in the cost of suit.
प्रमाणित अधिवक्ता शुल्क को वाद की लागत में शामिल किया जाएगा।
Decree to be drawn accordingly.
तदनुसार डिक्री लिखी जाए।

This judgment is dated, signed and pronounced in the open court.

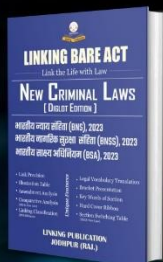
Sign
Civil Judge First Class,
Jaipur, Rajasthan

Sign
Civil Judge Second Class
Jaipur, Rajasthan

Linking Laws

"Link the Life with Law" All Judiciary Exam

Linking Diglot Combo Bare Act



Special Features :

- Link Provision
- Illustration Table
- Amendment Analysis
- Comparative Analysis (Old & New Law)
- Linking Classification (BNS Offences)
- Legal Vocabulary Translation
- Bracket Presentation
- Key Words of Section
- Hard Cover Ribbon
- Section Switching Table (Old & New Law)



Linking Publications << Paperathon Booklet
For Other Info Please Call
7737746465

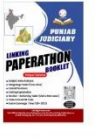


Scan this QR Code to
install the Linking App
and get Full PDF of
study material

Linking Laws
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
Get Subscription Now

LINKING PUBLICATION

PRICE LIST

 All Major Laws LINKING Charts Set of 5 Charts MRP - 879/- Rs.	 Criminal Major Laws LINKING Charts Set of 2 Charts MRP - 413/- Rs.	 Alpha Minor Amendment LINKING Charts Set of 5 Charts MRP - 978/- Rs.	 Criminal Major Laws LINKING Bare Act MRP - 494/- Rs.	 Criminal Major Laws LINKING Bare Act MRP - 395/- Rs.	 AIBE Paperathon Booklet MRP - 318/- Rs.
 AIBE Paperathon Booklet MRP - 318/- Rs.	 Punjab (Judiciary) Paperathon Booklet MRP - 274/- Rs.	 Himachal Pradesh Paperathon Booklet MRP - 307/- Rs.	 Odisha Paperathon Booklet MRP - 274/- Rs.	 Gujarat Paperathon Booklet MRP - 263/- Rs.	 Haryana Paperathon Booklet MRP - 241/- Rs.
 Delhi (DJS) Paperathon Booklet MRP - 325/- Rs.	 Rajasthan (APO) Paperathon Booklet MRP - 296/- Rs.	 Rajasthan (JLO) Paperathon Booklet MRP - 362/- Rs.	 Rajasthan (RJS) Paperathon Booklet MRP - 318/- Rs.	 Maharashtra Paperathon Booklet MRP - 285/- Rs.	 Bihar Paperathon Booklet MRP - 351/- Rs.
 Uttarakhand Paperathon Booklet MRP - 274/- Rs.	 Jharkhand Paperathon Booklet MRP - 208/- Rs.	 Uttar Pradesh (APO) Paperathon Booklet MRP - 219/- Rs.	 Uttar Pradesh (J) Paperathon Booklet MRP - 307/- Rs.	 MPCJ Paperathon Booklet MRP - 406/- Rs.	 Chhattisgarh Paperathon Booklet MRP - 428/- Rs.



Linking Publication
(E-PDF) is now available at
LINKING APP



Tansukh Paliwal
[CA, LL.M, Ex.Govt. Officer]
Founder of Linking Laws



Scan QR Code to Place
Order for
Linking Publications
or visit
www.LinkingLaws.com



Scan this QR Code to
install the Linking App
and get Full PDF of
study material



Linking Laws
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
Get Subscription Now